

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 911 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2019 — पौष 10, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

क्रमांक 36/डी. 237/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-12-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 23 सन् 2019)

## महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019

## विषय-सूची

खण्ड :

अध्याय-एक  
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय-दो  
विश्वविद्यालय

3. निगमन.
4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
5. विश्वविद्यालय की शक्तियां.
6. प्रादेशिक अधिकारिता.
7. विश्वविद्यालय को उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन आदि के लिये व्यवस्था करने की अनन्य अधिकारिता होगी.
8. विश्वविद्यालय धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विचारधारा पर ध्यान दिए बिना, सभी के लिये खुला रहेगा.
9. विश्वविद्यालय में अध्यापन.
10. विश्वविद्यालय का निरीक्षण या जांच.

अध्याय-तीन  
विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
12. कुलाधिपति.
13. कुलाधिपति की शक्तियां.
14. कुलपति.
15. कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें.

16. कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य.
17. कुलपति का हटाया जाना.
18. कुल सचिव.
19. लेखा नियंत्रक.
20. संकायाध्यक्ष (डीन) और निदेशक.
21. अन्य अधिकारी.
22. समन्वय परिषद्.
23. परिषद् का सम्मिलन और उसमें गणपूर्ति.
24. परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य.

अध्याय-चार  
विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.
26. बोर्ड का गठन.
27. बोर्ड का सम्मिलन.
28. बोर्ड की शक्तियाँ और उसके कर्तव्य.
29. विद्या परिषद्
30. विद्या परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य.
31. संकाय.
32. अध्ययन विभाग.
33. वित्त समिति.
34. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण.
35. उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्र तथा कृषक ग्रामीण जीवन तथा विस्तार सेवायें.

अध्याय-पांच  
विश्वविद्यालय निधि आदि

36. विश्वविद्यालय निधि.
37. उद्देश्य, जिनके लिये विश्वविद्यालय, निधि उपयोजित कर सकेगा.

अध्याय-छः  
परिनियम तथा विनियम

38. परिनियम.
39. परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे.
40. विनियम.

अध्याय-सात  
वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे आदि

41. वार्षिक रिपोर्ट.
42. लेखे तथा संपरीक्षा.

अध्याय-आठ  
अनुपूरक उपबंध

43. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.
44. समितियों का गठन.
45. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.
46. रिक्ति आदि के कारण कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी.
47. सेवा की शर्तें.
48. पेंशन तथा भविष्य निधि.
49. कार्य तथा आदेशों का संरक्षण.
50. प्रथम कुलपति की असाधारण शक्तियां.
51. बोर्ड द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति.
52. अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतनमान.
53. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के सदस्य की पदावधि.
54. विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र.
55. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या बोर्ड की सदस्यता से हटाया जाना.
56. कठिनाईयों का निराकरण.
57. संपत्ति तथा कर्मचारियों का अन्तरण.
58. व्यावृत्ति.



**छत्तीसगढ़ अधिनियम**  
(क्रमांक 23 सन् 2019)

**महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019**

उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षा और उनमें अनुसंधान को अग्रसर करने, विस्तार कार्य करने तथा उनसे आनुषंगिक अन्य विषयों के लिये उपबंध करने हेतु तहसील पाटन, जिला दुर्ग में उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञान का महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

**अध्याय-एक**  
**प्रारंभिक**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | <p>(1) यह अधिनियम महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 कहलायेगा।</p> <p>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।</p> <p>(3) यह 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगा।</p>   | <p>संक्षिप्त नाम,<br/>विस्तार तथा<br/>प्रारंभ.</p> |
| 2  | <p>इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-</p> <p>(एक) "उद्यानिकी" से अभिप्रेत है फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, औषधीय और सुगंधित पौधों, मशरूम, भूनिर्माण, कृषि वानिकी एवं मधुमक्खी पालन, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं प्रबंधन और ग्रामीण जनता की उन्नति का बुनियादी तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान;</p> <p>(दो) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का ऐसा महाविद्यालय, जो बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक अधिकारी के सीधे नियंत्रण तथा प्रबंधन के</p> | <p>परिभाषाएं.</p>                                  |

- अधीन हो, चाहे वह मुख्यालय, परिसर (केम्पस) में या अन्यत्र स्थित हो;
- (तीन) "विस्तार कार्य" से अभिप्रेत है उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान की समस्याओं को अभिनिश्चित करने, अनुसंधान के परिणामों का विस्तार कार्मिकों तथा कृषकों तक प्रसार करने और ऐसे प्रसार के उद्देश्य से प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिये समस्त शैक्षणिक कार्यक्रम;
- (चार) "छात्रावास" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आवासीय इकाई, जिसकी व्यवस्था, अनुरक्षण उसके द्वारा (विश्वविद्यालय द्वारा) की जाती हो अथवा जिसे उसके द्वारा (विश्वविद्यालय द्वारा) मान्यता दी गई हो;
- (पांच) "पंजीकृत स्नातक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पंजीकृत स्नातक;
- (छः) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियां;
- (सात) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियां;
- (आठ) "परिनियम तथा विनियम" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के तत्समय कमशः प्रवृत्त परिनियम तथा विनियम;
- (नौ) "विश्वविद्यालय का विद्यार्थी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो सम्यक् रूप से संस्थित उपाधि, पत्रोपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम करने हेतु विश्वविद्यालय में नामांकित हो;

(दस) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो शिक्षा प्रदान करने और/या अनुसंधान और/या विस्तार कार्यक्रमों का संचालन करने तथा पथ प्रदर्शन करने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्य किया गया हो और इसमें सम्मिलित है ऐसा व्यक्ति, जिन्हें परिनियमों द्वारा अध्यापक के रूप में घोषित किये जायें;

(ग्यारह) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।

#### अध्याय-दो विश्वविद्यालय

3. (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा प्रथम कुलपति और विश्वविद्यालय के बोर्ड तथा विद्या परिषद् के प्रथम सदस्यों और समस्त व्यक्तियों, जो इसमें इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बनेंगे, जब तक कि वे ऐसा पद धारण किये रहें या ऐसे सदस्य बने रहें, को समाविष्ट कर, एतद्द्वारा, विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जायेगा।
- (2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद लायेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद लाया जायेगा।
- (3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, तहसील पाटन, जिला दुर्ग में स्थित होगा।
4. विश्वविद्यालय के अन्य प्रयोजनों के साथ ही निम्नलिखित प्रयोजन होंगे:-
- (क) उद्यानिकी तथा अन्य संबद्ध विज्ञानों में शिक्षा की व्यवस्था करना;

निगमन.

विश्वविद्यालय के  
उद्देश्य.

- (ख) विशेषतः उद्यानिकी तथा अन्य संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्य को अग्रसर करना;
- (ग) क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों के दायित्व का निर्वहन करना; और
- (घ) ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त से संबंधित ऐसे अन्य प्रयोजन, जैसा कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, निर्देशित करे।

विश्वविद्यालय की शक्तियां.

5. विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात् –

- (1) जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करना तथा धारण करना, किसी ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो उसमें निहित हो, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये उसके द्वारा अर्जित की गई हो, शासकीय भूमि को तथा उसकी संस्थाओं को छोड़कर, पट्टे पर देना, विक्रय करना या अन्यथा अन्तरित करना;
- (2) निम्नलिखित के अध्ययन को संवर्धित करना तथा उसमें अभिवृत्ति करना तथा उनमें शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था करना:—
  - (क) उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, ग्रामीण उद्योग तथा कारोबार और अन्य संबद्ध विज्ञान; और
  - (ख) विद्या की ऐसी अन्य शाखाएं, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे;
- (3) उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्य के लिये तथा उनके ज्ञान के अभिवर्धन तथा प्रसार के लिये व्यवस्था करना और उद्यानिकी विस्तार सेवाओं को, जिनके अन्तर्गत ग्रामीण युवा कार्यक्रम आता है, संस्थित करना तथा उनका प्रबन्ध करना;

- (4) उपाधियां, पत्रोपाधियां तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित करना;
- (5) महाविद्यालयों, अध्ययन शालाओं तथा छात्रावासों को परिनियमों में विहित की गई रीति में अनुरक्षित करना;
- (6) अध्यापन पद, अनुसंधान पद तथा विस्तार पद, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो, संस्थित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्त करना;
- (7) अध्यापकों के लिए अर्हतायें अवधारित करना तथा उन्हें इस रूप में मान्यता देना कि वे उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में किसी महाविद्यालय में शिक्षण देने या उनमें अनुसंधान तथा विस्तार कार्य करने के लिए अर्हित हैं;
- (8) क्षेत्र कार्यकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों के लिए, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में नामांकित न हों, ऐसे व्याख्यान तथा शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें ऐसे पत्रोपाधि प्रदान करना, जैसा कि वह अवधारित करे;
- (9) ऐसी प्रयोगशालाओं, ऐसे पुस्तकालयों, उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्रों, संग्रहालयों, उद्यानिकी फार्मों तथा ऐसे अन्य उपस्करों की स्थापना करना, जैसा कि उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में संगठित करने हेतु विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;
- (10) परीक्षायें संचालित करना तथा ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने विश्वविद्यालय के अधीन अध्ययन पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, को पत्रोपाधि प्रदान करना और उपाधियों तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;
- (11) उन व्यक्तियों, जिन्होंने परिनियमों में विहित की गई शर्तों के अधीन स्वतंत्र रूप से अनुसंधान कार्य किया हो, उपाधियों और/या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

- (12) अनुमोदित व्यक्तियों को सम्मानित उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें परिनियमों में विहित की गई रीति में तथा शर्तों के अधीन प्रदान करना;
- (13) परिनियमों में विहित की गई शर्तों के अनुसार न्यासों तथा विन्यासों (एण्डाउमेन्ट्स) को धारण करना और उनका प्रबंध करना तथा श्रव्यतावृत्तियां (फेलोशिप्स) (जिनके अंतर्गत यात्रा श्रव्यतावृत्तियां आती हैं), छात्रवृत्तियां, छात्र-सहायता वृत्तियां (एग्जीविशन्स), वजीफे (वर्सरीज), पदक एवं अन्य पुरस्कार संस्थित तथा प्रदान करना;
- (14) महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की अन्य शाखाओं के निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि शिक्षण, अध्यापन या प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार कार्य का उचित स्तर बनाये रखा गया है;
- (15) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें, नियत करना, उनकी मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;
- (16) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य, विकास एवं सामान्य कल्याण के संवर्धन की व्यवस्था करना;
- (17) प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से नियुक्तियां करना;
- (18) निम्नलिखित संस्थित करना तथा उनका प्रबंधन करना:—
- (क) सूचना ब्यूरो;
- (ख) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग;



- (ग) नियोजन ब्यूरो;
- (घ) कोई अन्य संस्था, जो राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत की जाये;
- (19) निम्नलिखित की व्यवस्था करना:-
- (क) बर्हिवर्ती (एक्ट्राम्यूरल) अध्यापन तथा अनुसंधान;
- (ख) शारीरिक तथा सैन्य प्रशिक्षण;
- (ग) खेलो तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलापों;
- (घ) किसी अन्य क्रियाकलाप, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विनिश्चित किया जाये।
- (20) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों के साथ ऐसी रीति में, ऐसी सीमा तक तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये, जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, समन्वय करना;
- (21) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना, जो चाहे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हो या न हो और जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित हों।
8. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों पर होगा।
- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी महाविद्यालय या शिक्षण संस्था को, जो पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर स्थित हो और जो उद्यानिकी तथा अन्य संबद्ध विज्ञानों में स्नातक उपाधि के लिये और/या उससे ऊपर का शिक्षण प्रदान करती हो, भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार

प्रादेशिक  
अधिकारिता.

से सहयुक्त नहीं किया जायेगा और न उसको कोई विशेषाधिकार दिया जायेगा और कोई भी ऐसा विशेषाधिकार, जो किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा उन सीमाओं के भीतर स्थित किसी शिक्षण संस्था को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व दिया गया हो, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर प्रत्याहृत हो गया समझा जायेगा और ऐसी संस्थायें उस तारीख तक, जिसको कि वे धारा 57 के अधीन विश्वविद्यालय को अन्तरित की जायें, विश्वविद्यालय से संबद्ध रहेंगी।

- (3) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में लिये गये या संचालित किये गये अनुसंधान या विस्तार कार्य का विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों के साथ समन्वय तथा उनमें एकीकरण—

(क) ऐसी तारीख या तारीखों से किया जायेगा, जिन्हें राज्य शासन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे तथा समन्वय एवं एकीकरण के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी, और

(ख) ऐसी रीति में तथा उस सीमा तक किया जायेगा, जैसा कि राज्य शासन द्वारा बोर्ड के परामर्श से अवधारित किया जाये।

विश्वविद्यालय  
को उद्यानिकी  
तथा सम्बद्ध  
विज्ञानों में  
शिक्षण,  
अध्यापन आदि

7. (1) विश्वविद्यालय को उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करने के लिये धारा 6 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण क्षेत्रों पर अनन्य आधिकारिता होगी और राज्य में किसी अन्य विश्वविद्यालय के निगमन से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी अन्य विश्वविद्यालय ऐसे क्षेत्रों में



उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये सक्षम नहीं होगा। यद्यपि, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को उद्यानिकी, वानिकी पाठ्यक्रम एवं उपाधि कार्यक्रम, उद्यानिकी एवं संबद्ध विज्ञानों में बुनियादी अनुसंधान एवं विस्तार कार्यक्रम के लिये शिक्षण की व्यवस्था करने की शक्तियां होंगी।

- (2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पं. किशोरी लाल शुक्ला उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, राजनांदगांव, उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर एवं संबद्ध निजी उद्यानिकी महाविद्यालय का कोई भी ऐसा विद्यार्थी, जो 2019 के ..... दिन के ठीक पूर्व इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों की किसी परीक्षा के लिये अध्ययन कर रहा था या उसमें उपस्थित होने के लिये पात्र था, जैसी भी स्थिति हो, उस परीक्षा की तैयारी के लिये अपने पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा और विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिये पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिये और ऐसी रीति में, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा परीक्षा की व्यवस्था करेगा।

8. विश्वविद्यालय के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति पर:-

- (क) विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करने; या  
(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने; या

के लिये व्यवस्था करने की अनन्य अधिकारिता होगी।

विश्वविद्यालय धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विचारधारा पर

ध्यान दिये बिना,  
सभी के लिये  
खुला रहेगा.

- (ग) अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या सम्मिलित किये जाने; या  
(घ) किसी उपाधि, पत्रोपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं या पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने; या  
(ङ) विश्वविद्यालय के किन्हीं भी विशेषाधिकारों या उसकी उपकृति का उपभोग या प्रयोग किये जाने,

का हकदार बनाने के लिये धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य विचारधारा संबंधी कोई भी परीक्षण या शर्त अधिरोपित करे:

परंतु यह कि विश्वविद्यालय, राज्य शासन की पूर्व मंजूरी के अध्यक्षीन रहते हुए, शिक्षा, शिक्षण या निवास हेतु किसी महाविद्यालय या संस्था को अनन्यरूपेण स्त्रियों के लिये चला सकेगा या विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे या नियंत्रित किये जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था में विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश देने के प्रयोजनों हेतु स्त्रियों के लिये या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वर्गों या समुदायों, जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हों, के सदस्यों के लिये स्थान आरक्षित कर सकेगा:

परंतु यह और कि इस धारा में दी गई किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा करती है कि वह परिनियमों में विहित की गई से भिन्न अधिक संख्या में या शैक्षणिक या अन्य अर्हताओं से कम अर्हता वाले विद्यार्थियों को, किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश दे:

परंतु यह और भी कि इस धारा में दी गई किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या किन्हीं अन्य वर्गों या समुदायों, जो कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों, के निर्धन व्यक्तियों को अध्ययन पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने से या ऐसे पाठ्यक्रमों में उपस्थित होने के लिये उद्गृहीत की जाने वाली

फीस में पूर्णतः या अंशत छूट देने से विश्वविद्यालय को निवारित करती है।

स्पष्टीकरण— कोई भी व्यक्ति, इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिये, "निर्धन व्यक्ति" समझा जायेगा, यदि ऐसे व्यक्ति या उसके संरक्षक (जहां ऐसा व्यक्ति अपनी जीविका तथा शिक्षा के लिये ऐसे संरक्षक पर आश्रित हो) की वार्षिक आय ऐसी रकम से, जो राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, कम हो।

9. (1) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के संबंध में मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य, विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा ऐसी अध्यापन. योजना, जैसा कि विद्या परिषद् द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये विरचित किया जाये, के अनुसार संचालित किया जायेगा तथा इसमें व्याख्यान देना, अवबोधकीय कक्षाएँ (ट्यूटोरियल क्लासेज) लगाना, प्रयोगशाला कार्य, क्षेत्र कार्य (फील्ड वर्क) या अन्य अध्यापन कार्य जो विनियमों द्वारा विहित अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किया जाये, सम्मिलित है।
- (2) ऐसे अध्यापन का आयोजन करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारियों की तथा उन विद्यार्थियों की, जिन्हें किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा, अधिकतम संख्या, परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी।
- (3) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या विनियमों द्वारा विहित की जायेगी।
10. (1) कुलाधिपति को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या विश्वविद्यालय का तथा विशिष्टतः ऐसे अन्य विषयों का, जैसे उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्रों तथा फार्मों, कर्मशालाओं तथा विश्वविद्यालय का निरीक्षण या जांच.

उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या छात्रावास का, विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित अध्यापन तथा अन्य कार्य का और विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन का, निरीक्षण करवाए और विश्वविद्यालय से संसक्त किसी भी मामले की जांच करवाये :

परंतु कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण करवाने या जांच करवाने के अपने आशय की सूचना, विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय-उसमें प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा।

- (2) ऐसा या ऐसे व्यक्ति, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम की रिपोर्ट कुलाधिपति को देंगे और कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच परिणामों के संबंध में अपने विचार बोर्ड को संसूचित करेगा तथा बोर्ड, तदुपरि, ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा, जैसा कि कुलाधिपति द्वारा निर्देशित की जाए।
- (3) जहां बोर्ड, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के समाधान योग्य कार्यवाही नहीं करता है, वहां कुलाधिपति बोर्ड द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या किये गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे और बोर्ड उनका अनुपालन करेगा।
- (4) निरीक्षण की रिपोर्ट तथा ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप कुलाधिपति द्वारा जारी किये गये निर्देश विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

#### अध्याय-तीन

#### विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के 11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

अधिकारी.

- (1) कुलाधिपति;

- (2) कुलपति;
- (3) कुल सचिव;
- (4) लेखा नियंत्रक;
- (5) संकायाध्यक्ष (डीन);
- (6) निदेशक; और
- (7) विश्वविद्यालय की सेवा के ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

12. छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

कुलाधिपति.

13. (1) कुलाधिपति,—

कुलाधिपति की शक्तियां.

- (क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज-पत्र या जानकारी मांग सकेगा; और
- (ख) अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, धारा 43 के अधीन आने वाले मामले के सिवाय कोई भी मामला, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसने ऐसे मामले का पूर्व में विचार किया हो, पुनर्विचार के लिये निर्देशित कर सकेगा।

- (2) कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी की किसी भी ऐसी कार्यवाही की, जो इस अधिनियम, परिनियम या विनियम के अनुरूप न हो, बातिल कर सकेगा :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्व, वह संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी को यह हेतुक दर्शित करने के लिये अपेक्षित करेगा कि ऐसे आदेश क्यों न किया जाये



और यदि उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर कोई हेतुक दर्शित किया जाता है, तो वह उस पर विचार करेगा।

- (3) कोई सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना, कुलाधिपति के पुष्टीकरण के अधीन होगी।
- (4) कुलाधिपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त की जाये।

कुलपति. 14.

- (1) कुलपति की नियुक्ति, उप-धारा (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किये गये कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जायेगी:

परन्तु यह कि प्रथम कुलपति, कुलाधिपति द्वारा सीधे ही नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि कुलाधिपति, इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी को भी अनुमोदित नहीं करता है या ऐसी समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण, नियुक्ति स्वीकार करने के लिये इच्छुक न हों, तो कुलाधिपति, ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा।

- (2) कुलाधिपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को मिलाकर समिति गठित करेगा, अर्थात्:-

(एक) उन व्यक्तियों में से, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से नियोजित न किये गये हों, बोर्ड द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति,

(दो) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, और

(तीन) राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति।

कुलाधिपति, इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

- (3) कुलाधिपति, उप-धारा (2) के अधीन समिति का गठन, कुलपति की पदावधि का अवसान होने के पूर्व, करेगा।
- (4) समिति, अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाये, तालिका (पैनल) प्रस्तुत करेगी।
- (5) यदि समिति, उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका (पैनल) प्रस्तुत करने में असफल रहती है, तो कुलाधिपति, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा।
- (6) कुलपति, पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्त का पात्र होगा, किन्तु 65 वर्ष की आयु के परे नहीं :

परन्तु यह कि प्रथम कुलपति, पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि तक, जैसा कि कुलाधिपति अवधारित करें, पद धारण करेगा :

परन्तु यह और भी कि उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, प्रथम कुलपति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, किन्तु यह कालावधि छः माह से अधिक नहीं होगी।

- (7) कुलपति की मृत्यु, उसके पदत्याग के कारण या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया वरिष्ठतम निदेशक, संकाय का संकायाध्यक्ष या शासन का कोई अधिकारी, कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा, जिसको कि कोई नया कुलपति, जो ऐसी रिक्ति को भरने के लिये उप-धारा (1) के

अधीन नियुक्त किया गया हो, अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता :

परन्तु इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति, छः मास से अधिक कालावधि के लिये पद धारण नहीं करेगा।

- (8) जहां कुलपति का पद छुट्टी, रुग्णता या अन्य कारण से अस्थायी रूप से रिक्त हो जाता है, वहां कुलाधिपति, यथासंभव शीघ्र, कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।
- (9) जब तक कि उप-धारा (7) के अधीन नामनिर्देशन न किया गया हो या उप-धारा (8) के अधीन व्यवस्था न की गई हो, कुलसचिव और यदि कोई कुलसचिव नियुक्त नहीं किया गया हो, या यदि कुलसचिव का पद किसी भी कारण से रिक्त हो, तो विश्वविद्यालय का ऐसा अधिकारी, जिसे कुलाधिपति निर्देश दे, कुलपति के नित्य प्रति के कर्तव्यों का संपादन करेगा।
- (10) उप-धारा (8) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा या उप-धारा (9) के अधीन कुलसचिव द्वारा या कुलपति के नित्य प्रति के कर्तव्यों को संपादन करने के लिये उप-धारा (9) के अधीन कुलाधिपति द्वारा निर्देशित किये गये अधिकारी द्वारा किये गये समस्त कार्यों के संबंध में यह समझा जायेगा कि वे कुलपति द्वारा किये गये कार्य हैं।

कुलपति की 15. परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें.

कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, किन्तु उनमें उसकी नियुक्त के पश्चात् ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जो इसके लिये अलाभकारी हो।



18. (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा विद्या विषयक (शैक्षिक) अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा। वह बोर्ड का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष होगा तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकरणों का अध्यक्ष होगा, जिनका कि वह सदस्य हो। वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी भी सम्मिलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह संबंधित प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो।
- (2) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिये समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी।
- (3) कुलपति को बोर्ड तथा विद्या परिषद् के सम्मिलन बुलाने की शक्ति होगी।
- (4) किसी भी ऐसी आपात स्थिति में, जिसमें कुलपति की राय में तुरन्त कार्रवाई की जाना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट करेगा, जो कि मामूली अनुक्रम के उस मामले के संबंध में कार्रवाई करता और यदि ऐसी अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय, कुलपति की कार्रवाई से सहमत न हो, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

कुलपति की  
शक्तियां तथा  
कर्तव्य.

(5) जब उप-धारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती हो, तो ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिस पर उसे ऐसी कार्रवाई संसूचित की जाती है, तीस दिन के भीतर, उक्त उप-धारा में वर्णित अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय के माध्यम से बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा।

(6) कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई समझी जायेगी, जब तक कि वह उप-धारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय द्वारा अपास्त न कर दी जाये या उप-धारा (5) के अधीन बोर्ड द्वारा उपान्तरित या अपास्त न कर दी जाये।

(7) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के विनिश्चय को प्रभावशील करेगा।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विहित की जायें।

कुलपति का 17.  
हटाया जाना.

(1) यदि, किसी भी समय, अभ्यावेदन किये जाने पर या अन्यथा तथा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि -

(एक) कुलपति ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्य का पालन करने में चूक की है; या

(दो) कुलपति ने किसी ऐसी रीति में कार्य किया है जो विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल है; या

(तीन) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है,

तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारण कथित किये जायेंगे, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तक तक पारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उन आधारों, जिन पर ऐसी कार्रवाई करना प्रस्तावित है, की विशिष्टियां कुलपति को संसूचित नहीं कर दी जाती और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर उसे नहीं दे दिया जाता।

(3) उप-धारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से कुलपति के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जायेगा।

18. कुलसचिव पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह बोर्ड के तथा विद्या परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी। और उसकी परिलब्धियों तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों तथा विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं :

कुलसचिव.

परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलसचिव, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह पांच वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि तक और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जिन्हें कुलाधिपति अवधारित करें, पद धारण करेगा।

19. (1) लेखा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की

लेखा नियंत्रक.

जायेगी और उसकी परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) जहां लेखा नियंत्रक का पद छुट्टी, रूग्णता या किसी अन्य कारण से अस्थायी रूप से रिक्त हो जाता है, वहां कुलपति, लेखा नियंत्रक के नित्य प्रति के कर्तव्यों के सम्पादन के लिये ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(3) लेखा नियंत्रक—

(क) कुलसचिव के सामान्य नियंत्रण के अधीन विश्वविद्यालय की निधियों का पर्यवेक्षण करेगा और कुलपति को विश्वविद्यालय की वित्तीय नीतियों के संबंध में सलाह देगा;

(ख) कुलपति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के विनिधानों का प्रबन्ध करेगा;

(ग) यह देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिए व्यय किए जाते हैं, जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किए गए हैं और विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया जाता है जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो;

(घ) ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाये।

संकायाध्यक्ष  
(डीन) और  
निदेशक.

20.

(1) अनुसंधान सेवाओं के संकायाध्यक्ष (डीन) और निदेशक, तथा विस्तार सेवाओं के निदेशक होंगे, जो विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से उन परिनियमों के अनुसार की जाएगी, जो इस निमित्त बनाए गए हों।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों की परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) संकायाध्यक्ष और निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो कि परिनियमों द्वारा उनको प्रदत्त की जायें या उन पर अधिरोपित किये जायें।

21. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, जो कि धारा 11 में निर्दिष्ट है, की नियुक्ति ऐसी रीति में की जाएगी और उनकी सेवा की शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो कि परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विहित किये जायें: अन्य अधिकारी.

परन्तु ऐसा पद, जो कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्वीकृत सेटअप में प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है, राज्य शासन द्वारा भरा जायेगा।

22. राज्य के उद्यानिकी विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों का समन्वय करने के लिए एक परिषद् होगी। परिषद् का गठन राज्य शासन के आदेश द्वारा किया जायेगा और उनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :- समन्वय परिषद्.

- (1) कृषि मंत्री : अध्यक्ष
- (2) राज्य के उद्यानिकी विश्वविद्यालयों के कुलपति : सदस्य
- (3) संबंधित विश्वविद्यालयों के कुल सचिव : सदस्य
- (4) संबंधित विश्वविद्यालयों के निदेशक : सदस्य
- (5) संबंधित विश्वविद्यालयों के लेखा नियंत्रक : सदस्य
- (6) छत्तीसगढ़ शासन के निम्नलिखित विभाग के सचिव—
  - (एक) कृषि/उद्यानिकी विभाग,
  - (दो) पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग,
  - (तीन) मछली पालन विभाग,
  - (चार) आयाकट विभाग,
  - (पांच) वित्त विभाग
  - (छः) वन विभाग,



(सात) आदिम जाति कल्याण विभाग,

(आठ) सिंचाई विभाग,

(नौ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि, जो महानिदेशक द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।

परिषद् का  
सम्मिलन और  
उसमें गणपूर्ति.

23.

- (1) परिषद्, एक कैलेण्डर वर्ष में दो बार, ऐसे अन्तरालों पर, जैसा कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए, सम्मिलन करेगी।
- (2) परिषद् के एक-तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।
- (3) परिषद् के सदस्य ऐसी यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त करेंगे, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।
- (4) शासन के सचिव, कृषि/उद्यानिकी विभाग संयोजक होगा।

परिषद् की  
शक्तियां और  
कर्तव्य.

24.

इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी:-

- (एक) उद्यानिकी विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना ;
- (दो) उद्यानिकी विश्वविद्यालयों की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के उन्नयन और विकास के लिए उपाय सुझाना ;
- (तीन) राज्य में विधि द्वारा स्थापित उद्यानिकी विश्वविद्यालयों के बीच समन्वयकारी निकाय के रूप में कार्य करना ;
- (चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जायें।

अध्याय-चार  
विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

25. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण निम्नलिखित होंगे :-

विश्वविद्यालय के  
प्राधिकरण.

- (एक) बोर्ड;  
(दो) विद्या परिषद्;  
(तीन) संकाय;  
(चार) वित्त समिति ; और  
(पांच) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय  
के प्राधिकरण घोषित किये जायें।

26. (1) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय की स्थापना होने के दो मास के  
भीतर बोर्ड का गठन करेगा।

बोर्ड का गठन.

(2) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

पदेन सदस्य

- (एक) कुलपति -अध्यक्ष.  
(दो) सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
(क) कृषि/उद्यानिकी विभाग ;  
(ख) वित्त विभाग ;  
(ग) पशुपालन तथा पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग ;  
(घ) डेयरी विकास विभाग ;  
(ङ) मछली पालन विभाग.

कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य

- (तीन) (क) उद्यानिकी;  
(ख) कृषि;  
(ग) कृषि अभियांत्रिकी;  
में अनुसंधान या शिक्षा का पूर्वानुभव रखने वाले तीन  
विख्यात वैज्ञानिक;

राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य :

- (चार) उद्यानिकी विकास के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला  
एक प्रख्यात उद्योगपति या विनिर्माता;  
(पांच) ग्रामीण उन्नति का पूर्वानुभव रखने वाली एक विख्यात  
सामाजिक महिला कार्यकर्ता;

(छ:) एक प्रगतिशील कृषक, अधिमान्यतः जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो;

**अन्य सदस्य**

(सात) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि, जो उस परिषद् के महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

- (3) कुलसचिव बोर्ड का सदस्येतर सचिव होगा।
- (4) बोर्ड के ऐसे अन्य सदस्य, जो पदेन सदस्यों से भिन्न हों, नामनिर्देशित प्राधिकारी के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे किन्तु उनकी पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे सदस्य को उन्मत्त, दिवालिया, फरार घोषित कर दिया जाता है या यदि वह, सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से अन्यथा असमर्थ हो जाता है या यदि वह सदस्यता त्याग देता है तो वह सदस्य नहीं रहेगा, ऐसी दशा में विश्वविद्यालय प्राधिकारी द्वारा, यथासंभव शीघ्र, नया नामनिर्देशन किया जायेगा।
- (5) बोर्ड के सदस्य ऐसी यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करेंगे, जो कि परिणियमों द्वारा विहित किया जाये।

**बोर्ड का सम्मिलन.** 27. (1) बोर्ड का सम्मिलन उतनी बार, जैसा आवश्यक समझा जाये, ऐसी तारीखों को होगी जैसा कि कुलपति द्वारा नियत की जाये:

परन्तु यथाशक्य, बोर्ड की अन्तिम बैठक तथा आगामी सम्मिलन में उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत की गई तारीख के बीच तीन मास की कालावधि का अन्तर नहीं होगा।



- (2) उप-धारा (1) के अधीन कुलपति द्वारा नियत किया गया बोर्ड का सम्मिलन कुलपति द्वारा रद्द या मुलतवी नहीं किया जायेगा, किंतु कुलाधिपति, पर्याप्त हेतुक से, सम्मिलन को किसी ऐसी तारीख तक के लिए मुलतवी कर सकेगा, जो कि कुलपति द्वारा मूलतः नियत की गई तारीख से पन्द्रह दिन से अधिक पश्चात् की न हो।
- (3) कुलपति, बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यक्षता की जाने पर, बोर्ड का विशेष सम्मिलन, ऐसी अध्यक्षता प्राप्त होने के दस दिन के भीतर बुलायेगा।
- (4) जब उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के अधीन कुलपति द्वारा बोर्ड के सम्मिलन के लिए तारीख नियत कर दी गई हो तो कुलसचिव, बोर्ड के सदस्यों को ऐसे सम्मिलन की पूरे सात दिन की सूचना लिखित में देगा।
- (5) बोर्ड के प्रत्येक सम्मिलन की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

28. बोर्ड, विश्वविद्यालय का कार्यपालक प्राधिकरण होगा और वह, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि इस अधिनियम तथा परिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन विहित की जाएं, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थातः—

बोर्ड की  
शक्तियां और  
उसके कर्तव्य.

- (एक) विश्वविद्यालय का बजट अनुमोदित तथा मंजूर करना;
- (दो) कुलपति द्वारा उसके समक्ष रखे गए वार्षिक लेखाओं तथा वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन्हें उपान्तरण के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ पारित करना, जैसा कि वह ठीक समझे ;

- (तीन) विश्वविद्यालय की समस्त शाखाओं की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष राज्य शासन के समक्ष रखना ;
- (चार) अनुसंधान के लिए और ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रसार के लिए अभिगम की ऐसी शाखाओं तथा अध्ययन पाठ्यक्रमों में शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करना जिन्हें वह ठीक समझे ;
- (पांच) महाविद्यालयों, विभागों, छात्रावासों तथा अनुसंधान और विशेषज्ञीय अध्ययन संस्थाओं की स्थापना और अनुरक्षण की व्यवस्था करना और उनका प्रबंध करना ;
- (छः) ऐसी प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्रों, संग्रहालयों, उद्यानिकी-फार्मों का, जिसके अंतर्गत उसी प्रकार के अन्य फार्म आते हैं ऐसे अन्य उपकरणों का आयोजन तथा व्यवस्था करना, जिनका कि उद्यानिकी तथा संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में आयोजन तथा व्यवस्था करना विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;
- (सात) उद्यानिकी ग्रामीण जीवन अनुसंधान और विस्तार सेवा चलाना।
- (आठ) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना :-
- (क) (एक) बर्हिर्वर्ती (एक्स्ट्राम्यूरल) अध्यापन तथा अनुसंधान ; और
- (दो) विश्वविद्यालय विस्तारी क्रियाकलाप;
- (ख) शारीरिक तथा सैन्य प्रशिक्षण ;

- (ग) खेलों तथा व्यायाम सम्बन्धी क्रियाकलाप; और
- (घ) कोई अन्य क्रियाकलाप, जो राज्य शासन द्वारा निर्देशित किए जायें।
- (नौ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, आचरण और अनुशासन के नियंत्रण के लिए व्यवस्था करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए व्यवस्था करना ;
- (दस) उपाधियां, पत्रोपाधियां तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित करना और प्रदान करना ;
- (ग्यारह) परिनियमों द्वारा विहित रीति में सम्मानिक उपाधियां तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करने के संबंध में, कुलाधिपति से सिफारिश करना ;
- (बारह) अध्येतावृत्तियां (फेलोशिप्स), छात्रवृत्तियां (स्कालरशिप्स), अध्ययन वृत्तियां (स्टूडेंटशिप्स) छात्र-सहायता-वृत्तियां (एकजोविशन्स) तथा पदक संस्थित करने, उन्हें बनाये रखने तथा प्रदान करने के लिए व्यवस्था करना ;
- (तेरह) परिनियमों द्वारा यथा विहित फीस तथा अन्य प्रभारों की अनुसूची को अनुमोदित करना ;
- (चौदह) परिनियम बनाना, उनमें संशोधन करना या उन्हें निरसित करना ;
- (पन्द्रह) किसी विनियम को अनुमोदित करना, उसे रद्द करना, उसमें उपान्तरण कराना या उसे समुचित निकाय को वापस निर्देशित करना ;

- (सोलह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना, उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना और उसके उपयोग को विनियमित करना ;
- (सत्रह) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रशासन करना ;
- (अठारह) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा परिनियमों के अध्यक्षीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से कोई जंगम या स्थावर संपत्ति अन्तरित करना;
- (उन्नीस) विश्वविद्यालय के पक्ष में किये गये न्यासों, वसीयतों संदानों और जंगम तथा स्थावर संपत्ति के अन्तरणों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिगृहित करना ;
- (बीस) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से संविदायें करना, उनमें संशोधित करना, उन्हें कार्यान्वित करना या रद्द करना;
- (इक्कीस) विश्वविद्यालय का कार्य क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रो, पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;
- (बाईस) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारियों (जो कुलपति से भिन्न हों), अध्यापकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना और उनके पदों की अस्थाई रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(तेईस) निम्नलिखित को संस्थित करना;

(क) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग;

(ख) सूचना ब्यूरो; और

(ग) नियोजन ब्यूरो ;

(चौबीस) ऐसे अध्यापन पदों को, जिनकी प्रस्थापना विद्या परिषद द्वारा की जाए, अनुमोदित करना ;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय में के किसी अध्यापन पद को, स्वमेव या विद्या परिषद से उसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, समाप्त करना या निलंबित करना ;

(छब्बीस) कुलपति, कुलसचिव या विश्वविद्यालय के या उसके द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति के ऐसे अन्य अधिकारियों के, जिन्हें वह उचित समझे, वेतनमान तथा सेवा की शर्तें अधिकथित करना ;

(सत्ताईस) अपनी शक्तियों में से कोई भी शक्ति कुलपति, कुलसचिव या विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्ति की गई किसी समिति को, जिसे वह ठीक समझे, विनियम द्वारा प्रत्यायोजित करना ; और

(अट्ठाईस) इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधो से असंगत न होने वाली ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो।



विद्या परिषद्. 29.. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय के विद्या संबंधी कार्यकलापों की भारसाधक होगी तथा उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) कुलपति - अध्यक्ष ;

(दो) निदेशक अनुसंधान, विस्तार तथा शिक्षण ;

(तीन) महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय के संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(चार) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में से एक-एक अध्यापक, जो कि परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में, अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे ;

(पांच) सह उद्यानिकी विश्वविद्यालयों (सिस्टर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज) के तीन अधिकारी/अध्यापक, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्य विषयों में अपने विशेष ज्ञान के कारण विद्या परिषद् द्वारा सहयोजित किए गए हों;

(छः) समस्त संकायों के विभागाध्यक्ष;

(2) विद्या परिषद् की तत्समय की सदस्य संख्या को कम से कम आधी संख्या से, गणपूर्ति होगी ;

(3) विद्या परिषद् को किसी ऐसे विशिष्ट कामकाज की, जो परिषद् के समक्ष विचारार्थ आये, विषयवस्तु का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार सहयोजित किये गये सदस्यों के पास ऐसे कामकाज के, जिसके संबंध

में वे सहयोजित किये जाएं, संपादन के बारे में विद्या परिषद के सदस्यों के अधिकार होंगे ;

- (4) विद्या परिषद के समस्त सदस्य, जो पदेन सदस्यों से तथा उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किये गये सदस्यों से भिन्न हों, परिणियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

30. विद्या परिषद :-

(क) इस अधिनियम तथा परिणियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान तथा परीक्षा को सामान्यतः विनियमित करेगी और उन पर नियंत्रण रखेगी और उनका स्तर बनाये रखने एवं उपाधियां अभिप्राप्त करने हेतु अपेक्षाओं की पूर्ति कराने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(ख) विश्वविद्यालय के बोर्ड को तथा अन्य प्राधिकरणों को सभी शैक्षणिक विषयों पर सलाह देगी ;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाए या उस पर अधिरोपित किये जायें।

विद्या परिषद की  
शक्तियां और  
कर्तव्य.

31. (1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जो कि परिणियमों द्वारा विहित किया जाये।

(2) प्रत्येक संकाय में ऐसे सदस्य होंगे और उन्हें ऐसी शक्तियां होगी और वे ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो कि परिणियमों द्वारा विहित किया जाये।

संकाय.

- अध्ययन विभाग. 32.**
- (1) प्रत्येक संकाय में ऐसा अध्ययन विभाग होगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।
  - (2) प्रत्येक अध्ययन विभाग के लिये एक विभागाध्यक्ष होगा।
  - (3) कुलपति प्राध्यापकों में से एक को विभागाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा और यदि कोई प्राध्यापक न हो तो संकाय का संकायाध्यक्ष ऐसे विभाग के अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कि सम्यक रूप से अर्हित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो जाता।
  - (4) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तों, उसके कर्तव्य तथा कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।
- वित्त समिति. 33.**
- (1) वित्त समिति, विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंध के लिये उत्तरदायी होगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
    - (एक) कुलपति - अध्यक्ष
    - (दो) सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग;
    - (तीन) सचिव / विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि/उद्यानिकी विभाग
    - (चार) कृषि संचालक, रायपुर
    - (पांच) उद्यानिकी संचालक, रायपुर
  - (2) समिति, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी:-
    - (एक) विश्वविद्यालय का बजट अनुमोदित करना;
    - (दो) लेखा नियंत्रक द्वारा उसके समक्ष रखे गये वार्षिक



लेखाओं तथा वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन्हें उपान्तरण के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ पारित करना, जिन्हें वह उचित समझे।

(तीन) विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्ण विवरण बोर्ड के समक्ष प्रतिवर्ष रखना।

34. ऐसे अन्य प्राधिकरणों, जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण होना घोषित किये जाये, के गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्यों के लिये उपबन्ध परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में किये जायेंगे। विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण.
35. (1) विश्वविद्यालय, समस्त संकायों में, मूल तथा अनुप्रायोगिक दोनों ही अनुसंधान के लिये उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्र, क्षेत्रीय तथा अन्य उपकेन्द्र, अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर स्थापित करेगा और या उन्हें बनाये रखेगा। उद्यानिकी अनुसंधान केन्द्र तथा कृषक ग्रामीण जीवन तथा विस्तार सेवायें.
- (2) विश्वविद्यालय कृषक ग्रामीण जीवन तथा विस्तार सेवा भी चलायेगा, जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कृषकों तथा गृहणियों को उनकी सहायता करने उनकी समस्याओं को हल करने के लिये उपयोगी जानकारी उपलब्ध करायेगी और युवा व्यक्तियों में कृषक ग्रामीण जीवन के प्रति रुचि बढ़ाने की दृष्टि से समस्त आवश्यक उपाय करेगी।

#### अध्याय—पांच

#### विश्वविद्यालय निधि आदि

36. (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय निधि कहलायेगी। विश्वविद्यालय निधि.

(2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि के भाग होंगे या उसमें संदत्त किए जायेंगे:-

- (क) केन्द्रीय या राज्य शासन या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई उधार, अभिदाय या अनुदान ;
- (ख) समस्त स्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय, जिसके अन्तर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है ;
- (ग) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेण्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो ;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां।

(3) विश्वविद्यालय निधि, बोर्ड के विवेकानुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का सं. 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंको में या किन्हीं ऐसे अन्य बैंको में रखी जायेगी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किये जायें या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का सं. 2) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनिहित की जायेगी।

(4) इस धारा की कोई भी बात, किसी न्यास के प्रबंध के लिये विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किये गये न्यास की किसी भी घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिगृहित की गई या उस पर अधिरोपित की गई किन्हीं भी बाध्यताओं पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी।

37. विश्वविद्यालय निधि का उपयोजना, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जायेगा :-
- उद्देश्य, जिनके लिये विश्वविद्यालय, निधि उपयोजित कर सकेगा.
- (क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये ऋणों के प्रतिसंदाय के लिये;
- (ख) किसी भी ऐसे वाद या कार्यवाहियों, जिनमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो, के व्ययों के लिये;
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा सेवकों को इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिये महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय के विभागों में नियोजित किये गये अध्यापक वृन्द तथा स्थापना के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिये और किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों को या ऐसी स्थापनाओं के सदस्यों को पेंशन तथा किसी भविष्य निधि के अभिदायों के संदाय के लिये;
- (घ) बोर्ड तथा विद्या परिषद् के सदस्यों और विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण के सदस्यों या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में से किसी भी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के यात्रा भत्तो तथा अन्य भत्तो के संदाय के लिये;

- (ड) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययन वृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिए ;
- (च) महाविद्यालयों, विभागों, निवास स्थानों तथा छात्रावासों के अनुरक्षण के लिये;
- (छ) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिये;
- (ज) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों और विनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये किसी भी व्यय के संदाय के लिये;
- (झ) पूर्ववर्ती खंडों में से किसी भी खंड में विनिर्दिष्ट न किये गये किसी ऐसे अन्य व्यय, जो बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये व्यय घोषित किया गया हो, के संदाय के लिये।

#### अध्याय—छ:

#### परिनियम तथा विनियम

**परिनियम. 38.** इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :-

- (एक) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य ;
- (दो) खंड (एक) में निर्दिष्ट किये गये प्राधिकरणों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि जिसके अंतर्गत है प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना

- या सेवानिवृत्त होना तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय, जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;
- (तीन) बोर्ड के सदस्यों को देय भत्ते ;
- (चार) कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तों और उसकी शक्तियां ;
- (पांच) विश्वविद्यालय के लेखा नियंत्रक (कम्पट्रोलर), कुलसचिव, संकायाध्यक्ष, निदेशक तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति उनकी शक्तियों तथा कर्तव्य और परिलब्धियां उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तों ;
- (छह) विश्वविद्यालय के अधिकारियों अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये पेंशन या भविष्य निधि में अभिदाय और बीमा योजना का स्थापन ;
- (सात) उपाधियां प्रदान करने के लिये दीक्षान्त समारोह का किया जाना ;
- (आठ) सम्मानिक उपाधियों तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना ;
- (नौ) उपाधियों, पत्रोपाधियों, प्रमाणपत्रों तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का प्रत्याहरण ;
- (दस) संकायों का स्थापन, समामेलन, उप विभाजन तथा उनकी समाप्ति ;
- (ग्यारह) संकायो में अध्यापन विभागो का स्थापन तथा उनकी समाप्ति ;



- (बारह) विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षित छात्रावासों का स्थापना तथा उनकी समाप्ति ;
- (तेरह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएं, उनका वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति की रीति ;
- (चौदह) विन्यासों (एण्डाउमेण्ट्स) का प्रशासन, और अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययन वृत्तियों, छात्रसहायता वृत्तियों, (एकजीबीशन्स), वजीफों (वर्सरीज), पदकों, पारितोषकों तथा अन्य पुरस्कारों का संस्थित किया जाना तथा उनके प्रदान किये जाने की शर्तें ;
- (पंद्रह) पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना ;
- (सोलह) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा उनका नामांकन और उनका विद्यार्थी के रूप में बना रहना ;
- (सत्रह) ऐसी फीस, जो किसी प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित की जाये ;
- (अट्ठारह) विश्वविद्यालयों की समस्त उपाधियों, पत्रोपाधियों तथा प्रमाणपत्रों के लिये अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;
- (उन्नीस) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां, पत्रोपाधियां, प्रमाणपत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं, उनके लिये अर्हताएँ, और उनके प्रदान किये जाने तथा अभिप्राप्त किये जाने के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही ;



- (बीस) अनुसंधान के लिये उपाधियां तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करने के लिये शर्तों का अधिकथित किया जाना ;
- (इक्कीस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखना ;
- (बाईस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें तथा छात्रावासों में निवास के लिये फीस का उदग्रहण ;
- (तेईस) ऐसे छात्रावासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनारक्षित न किये जाते हों, मान्यता देना तथा उनका प्रबंध ;
- (चौबीस) विशेष व्यवस्था, यदि कोई हो, जो महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किये जा सकते हो, और उनके लिये विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों का विहित किया जाना ;
- (पच्चीस) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठापित या चलाए जा रहे महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं का प्रबंध ;
- (छब्बीस) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति का गठन;
- (सत्ताइस) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताएं तथा नियुक्ति की शर्तें, जिनके अंतर्गत उनके वेतनमान तथा अन्य उपलब्धियां है ;
- (अट्ठाईस) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के कर्तव्य ;
- (उन्नतीस) वह तारीख, जिसकी या जिसके पूर्व वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जायेगी ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदाओं या करारों के निष्पादन की रीति ; और

(एकत्तीस) ऐसे समस्त अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाना हो या उपबंधित किये जायें।

परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे.

39. (1) धारा 38 में दिये गये विषयों के संबंध में प्रथम परिनियम, राज्य शासन द्वारा बनाये जाएंगे और उसकी एक प्रति चौदह दिन के लिये विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी और वे ऐसे परिवर्धनों तथा परिवर्तनों, जिसके संबंध में विधान सभा सहमत हो, के अधीन होंगे किन्तु किसी ऐसी बात, जो कि उनके अधीन पूर्व में की गई हो, की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) बोर्ड इसमें इसके पश्चात् इस धारा में उपबंधित की गई रीति में समय-समय पर नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा और परिनियमों में संशोधन कर सकेगा या उन्हें निरस्त कर सकेगा।
- (3) विद्या परिषद्, बोर्ड द्वारा पारित किये जाने के लिये नवीन परिनियम का या किसी विद्यमान परिनियम में संशोधन का प्रारूप, बोर्ड को प्रस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रारूप पर बोर्ड द्वारा उसके आगामी सम्मिलन में विचार किया जायेगा:
- परन्तु विद्या परिषद्, किन्हीं ऐसे परिनियमों के या किसी परिनियम में किसी ऐसे संशोधन, जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालता हो, के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को ऐसी प्रस्थापना पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर न दे दिया

गया हो, और इस प्रकार से प्रकट की गई किसी राय पर बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

- (4) बोर्ड किसी ऐसे प्रारूप, जो उप-धारा (3) में निर्दिष्ट है, को अनुमोदित कर सकेगा तथा परिनियम पारित कर सकेगा या उसे अस्वीकार कर सकेगा या उसे, किन्ही ऐसे संशोधनों के साथ, जिनका कि बोर्ड सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार के लिये विद्या परिषद को वापस कर सकेगा।
- (5) बोर्ड का कोई सदस्य किसी नवीन परिनियम के या विद्यमान परिनियम में संशोधन के प्रारूप की प्रस्थापना बोर्ड को कर सकेगा। बोर्ड उस प्रस्थापना को, यदि वह विद्या परिषद् के कार्य क्षेत्र के भीतर न आने वाले किसी विषय से संबंधित हो, या तो स्वीकार कर सकेगा या अस्वीकार कर सकेगा, किन्तु उस दशा में जब कि ऐसा प्रारूप विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र के अंदर आने वाले विषय से संबंधित हो, उस मामले में समुचित विनिश्चय करने के पूर्व, बोर्ड द्वारा उस पर विद्या परिषद की राय अभिप्राप्त की जायेगी तथा उस पर विचार किया जायेगा।
- (6) नवीन परिनियम या परिनियमों में परिवर्तन या परिनियम में किसी संशोधन या उसके निरसन के लिए कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसे मंजूर कर सकेगा, या नामंजूर कर सकेगा या उसे और आगे विचार किये जाने के लिए भेज सकेगा।

40. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण तथा अन्य निकाय—

विनियम.

- (क) सम्मिलनों में गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या तथा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करने लिये;

(ख) ऐसे समस्त विषयों, जो इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार विनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हो, का उपबंध करने के लिये; और

(ग) ऐसे किन्हीं भी अन्य विषयों, जो अनन्य रूप से ऐसे प्राधिकरणों तथा निकायों से संबंधित हो, और जिनके लिए इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उपबंध न किया गया हो, का उपबंध करने के लिए,

इस अधिनियम तथा परिनियमों के संगत विनियम बना सकेगा।

- (2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे विनियम बनायेगा जिनमें ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को सम्मिलन की तारीखों की तथा उस कामकाज, जिस पर उन सम्मिलनों में विचार किया जाना हो, का सूचना दिये जाने एवं सम्मिलनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखे जाने के लिए उपबंध होगा।
- (3) बोर्ड ऐसी रीति में, जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करें, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किन्हीं भी विनियमों को संशोधित करने के लिये या उप-धारा (1) के अधीन बनाये गये किन्हीं भी विनियमों के विलोपन के लिए निर्देश दे सकेगा।
- (4) विद्या परिषद, परिनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं तथा उपाधियों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों का उपबंध करते हुए विनियम, संबंधित संकाय से उनके प्रारूपों के प्राप्त होने के पश्चात्, बना सकेगी।

- (5) विद्या परिषद संकाय से प्राप्त किसी प्रारूप को या तो अनुमोदित कर सकेगी या नामंजूर कर सकेगी या उसमें परिवर्तन कर सकेगी या उसे अपने सुझावों के साथ और आगे विचार किये जाने के लिए संकाय को भेज सकेगी।

अध्याय—सात  
वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा आदि

41. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कुलपति के निर्देश के अधीन तैयार की जाएगी और बोर्ड को उसके विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ भेजी जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसी वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति तथा राज्य शासन को भेजी जायेगी और राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेगी। वार्षिक रिपोर्ट.
42. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे कुलपति के निर्देश के अधीन लेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जायेगा और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाले या उसे प्राप्त समस्त धन तथा संवितरित की गई या संदत्त की गई समस्त राशि, लेखा में प्रविष्ट की जायेगी। लेखे तथा  
संपरीक्षा.
- (2) वार्षिक लेखे बोर्ड को भेजे जाएंगे। बोर्ड अपने सम्मिलन में उन पर विचार करेगा तथा एक संकल्प पारित करेगा और उसे राज्य शासन को संसूचित करेगा जो उसकी संपरीक्षा, ऐसे व्यक्ति द्वारा कराएगी, जैसा कि वह निर्देश दे।
- (3) लेखे, जब उनकी संपरीक्षा हो जाए, मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों के साथ, कुलपति द्वारा बोर्ड को भेजी जायेंगी, जो उन्हें ऐसी टीका टिप्पणियों के साथ, जो कि आवश्यक समझी जायं, राज्य शासन को अग्रेषित करेगा, संपरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की टीका टिप्पणियों सहित, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेगी।



**अध्याय-आठ**  
**अनुपूरक उपबंध**

- विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.** 43. इस अधिनियम या किसी परिनियम या विनियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यकरूपेण निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत हो जाये, तो मामला, कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा:
- परन्तु कुलाधिपति, कोई ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व उसमें प्रभावित होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।
- स्पष्टीकरण-** इस धारा में, अभिव्यक्ति "निकाय" के अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित की गई कोई समिति है।
- समितियों का गठन.** 44. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई हो, वहां ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित प्राधिकरण के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।
- आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.** 45. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेगी, जिसने उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया हो, और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या



सहयोजित किया गया व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का उस अवधि के शेषकाल के लिये सदस्य रहेगा, जिसके लिये वह व्यक्ति, जिसके स्थान की उसने पूर्ति की हो, सदस्य रहा होता।

46. विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई भी कार्य, केवल इस कारण से अविधि मान्य नहीं होगा कि:-

- (क) उसमें कोई रिक्ति है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
- (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
- (ग) उसकी प्रकिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालती हो।

47. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक, लिखित संविदा, जो कुलपति की अभिरक्षा में रखी जायेगी, के अधीन नियुक्त किया जायेगा, और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी।
- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी या अध्यापक को विश्वविद्यालय में या उसके बाहर किसी भी कार्य के लिए पारिश्रमिक, परिनियमों में उपबंधित के सिवाय, न तो दिया जायेगा और न ही वह उसे प्रतिगृहीत करेगा।
- (3) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों या अध्यापकों में से किसी अधिकारी या अध्यापक के बीच हुई संविदा से उद्भूत होने वाले कोई विवाद संबंधित अधिकारियों या अध्यापकों की प्रार्थना पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर कुलाधिपति द्वारा माध्यमस्थम् के लिये एक अधिकरण को, जिसमें बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक सदस्य, तथा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया गया

रिक्ति आदि के कारण कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी.

सेवा की शर्तें.

अधिनिर्णायक होगा, निर्दिष्ट किया जायेगा और अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित किये गये मामलों के संबंध में किसी भी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन की गई प्रत्येक प्रार्थना को इस धारा के अनुसार माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 (1996 का सं. 26) के अर्थ के अंतर्गत मध्यस्थता के लिये प्रार्थना समझा जायेगा और उस अधिनियम के समस्त उपबंध, इसकी धारा 3 को छोड़कर, तदनुसार लागू होंगे।

पेंशन तथा  
भविष्य निधि.

48. (1) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकीय कर्मचारी वृन्द तथा कर्मचारियों के लाभ के लिये ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित की जाये, ऐसी पेन्शन, बीमा तथा भविष्य निधि का गठन करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।
- (2) जहां कोई ऐसी भविष्य निधि इस प्रकार गठित की गई हो वहां कुलाधिपति यह घोषित कर सकेगा कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का सं. 16) के उपबंध, ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे, मानों कि वह शासकीय भविष्य निधि हो।

कार्य तथा  
आदेशों का  
संरक्षण.

49. विश्वविद्यालय द्वारा सद्भावपूर्वक किये गये समस्त कार्य तथा पारित किये गये समस्त आदेश अंतिम होंगे और इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के अनुसरण में की गई या कारित किसी भी बात के लिये कोई दावा या नुकसान दावा संस्थित नहीं किया जायेगा।

प्रथम कुलपति  
की असाधारण  
शक्तियां.

50. (1) प्रथम कुलपति को, उसकी नियुक्ति की तारीख से अट्ठारह मास की कालावधि तक के लिए या ऐसी अल्पतर कालावधि तक के लिए, जो कि कुलाधिपति द्वारा

अवधारित की जाए, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी,  
अर्थात् :-

- (क) किसी ऐसे विषय के लिये, जिसके लिये प्रथम परिनियमों द्वारा उपबंध न किया गया हो, उपबंध करने हेतु कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, अतिरिक्त परिनियम बनाना ;
  - (ख) कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से अस्थायी प्राधिकरणों तथा निकायों का गठन करना और उनकी सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए उपबंध करने वाले नियम बनाना;
  - (ग) कुलाधिपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसी वित्तीय व्यवस्थाएं करना तथा ऐसा व्यय करना, जो इस अधिनियम या इसके किसी भाग को प्रवर्तित किये जा सकने के लिए आवश्यक हो;
  - (घ) कुलाधिपति की मंजूरी से, ऐसी नियुक्तियां करना जो इस अधिनियम या इसके किसी भाग को प्रवर्तित किये जा सकने के लिए आवश्यक हो;
  - (ङ) कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से, अपने ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए, जिसके संबंध में वह निर्देश दे, ऐसी समितियां नियुक्त करना, जिन्हें कि वह उपयुक्त समझे;
  - (च) साधारणतया, समस्त या किन्हीं भी ऐसी शक्तियों को प्रयोग करना, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त की गई है।
- (2) उप-धारा (1) के मद (ख), (घ) तथा (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कुलपति द्वारा पारित किया गया कोई भी आदेश, उप-धारा (1) के अधीन

विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के अवसान होने के पश्चात् उस समय तक प्रभावी बने रहेंगे, जब तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनके संबंध में कार्यवाही करने के लिए समक्ष प्राधिकरण या निकाय द्वारा उपान्तरित या अपास्त न कर दिये जायें।

- बोर्ड द्वारा  
अध्यापकों की  
नियुक्ति.
51. बोर्ड द्वारा किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के वैतनिक अध्यापक के रूप में परिनियमों के उपबंधों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर ही नियुक्त किया जायेगा, अन्यथा नहीं। तथापि, कार्य की प्रकृति को देखते हुए किसी भी मामले में छः मास से अनधिक कालावधि के लिए तदर्थ नियुक्ति की जा सकेगी।
- अधिकारियों,  
अध्यापकों तथा  
अन्य कर्मचारियों  
का वेतनमान.
52. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन का संदाय उन वेतनमानों के अनुसार किया जायेगा, जो राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से परिनियमों द्वारा नियत किये गये हों।
- विश्वविद्यालय के  
प्राधिकरण के  
सदस्य की  
पदावधि.
53. (1) जब कभी कोई व्यक्ति अपने द्वारा धारित पद के आधार पर किसी प्राधिकरण का सदस्य बन जाता है, तो वह उस दशा में जबकि वह अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाए, तत्काल ऐसे प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा:

परन्तु केवल इस कारण से कि वह चार माह से अनधिक की कालावधि के किए छुट्टी पर चला जाता है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जावेगा कि वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो गया है,



(2) जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य निकाय के चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या न हो, प्रतिनिधि के रूप में किसी प्राधिकरण का सदस्य बन जाता है, तो वह उस दशा में जबकि वह अपनी सदस्यता की अवधि का अवसान होने के पूर्व उस निकाय का, जिसके द्वारा वह नामनिर्देशित, नियुक्त या निर्वाचित किया गया था, सदस्य न रहे, ऐसे प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा।

54. (1) बोर्ड, विद्या परिषद या विश्वविद्यालय किसी अन्य के प्राधिकरण के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग सकेगा और त्यागपत्र, कुलसचिव को प्राप्त होते ही प्रभावशील हो जायेगा।

विश्वविद्यालय के  
सदस्य या  
अधिकारी का  
त्यागपत्र.

(2) विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो रिक्ति को भरने के लिए सक्षम हो, प्रतिगृहीत कर लिया जाता है या कुलसचिव को त्यागपत्र प्राप्त होने की तारीख से तीन मास का अवसान हो जाने पर स्वतः, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, प्रभावशील हो जायेगा।

55. कुलाधिपति, बोर्ड के निवेदन पर, किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की, जिसके अंतर्गत बोर्ड भी है, सदस्यता से इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है :

विश्वविद्यालय के  
किसी प्राधिकरण  
या बोर्ड की  
सदस्यता से  
हटाया जाना.

परन्तु किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, हटाये जाने का कोई आदेश उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और भी कि इस धारा में दी गई कोई भी बात उस दशा में लागू नहीं होगी, जबकि व्यक्ति राज्य विधान सभा का सदस्य होने के नाते सदस्य हो,

कठिनाईयों का  
निराकरण. 58.

- (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य शासन, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिये आवश्यक प्रतीत होते हों।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात्, नहीं किया जायेगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

संपत्ति तथा  
कर्मचारियों का  
अंतरण. 57.

- (1) ऐसी तारीख से, जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के समस्त संघटक एवं संबद्ध महाविद्यालय, जो धारा 6 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर स्थित है और जो स्नातक उपाधि या उससे ऊपर की उपाधि के लिये उद्यानिकी में या किन्हीं अन्य संबद्ध विषयों में शिक्षण दे रहे हों, और उन क्षेत्रों में स्थित समस्त अनुसंधान केन्द्र, जो उद्यानिकी, वानिकी तथा संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्य



करने के लिये चलाए जा रहे हों और साथ ही ऐसे महाविद्यालयों तथा केन्द्रों की भूमियां, छात्रावास तथा अन्य भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय की पुस्तकें, प्रयोगशालाएं, भण्डारगृह, उपकरण, साधित्र, साधन तथा उपस्कर और पशुधन एवं उनके लिये बनाया गया बजट कार्यक्रम विश्वविद्यालय को अन्तरित कर दिए जायेंगे और वे उसमें निहित हो जायेंगे।

- (2) उप-धारा (1) के अधीन किसी महाविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र के अन्तरित हो जाने की तारीख से ही निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-

(क) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वे कर्मचारी:-

(एक) जो इस अधिनियम की धारा 57 (1) में वर्णित महाविद्यालयों या अनुसंधान केन्द्रों में उक्त तारीख को कार्य कर रहे थे या उनसे संलग्न थे; या

(दो) जो उस दशा में, जबकि किसी कारण से ऐसे महाविद्यालयों या अनुसंधान केन्द्रों से उनकी अस्थायी अनुपस्थिति न हुई होती, उक्त तारीख को ऐसे महाविद्यालयों में या अनुसंधान केन्द्रों में कार्य कर रहे होते या उनसे संलग्न रहते; या

(तीन) जो छः मास की कालावधि के भीतर अन्य विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किए जाने का विकल्प लेते हैं और जिन्हें बोर्ड द्वारा उसके लिये अनुज्ञात कर दिया जाता है;

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कर्मचारी हो जाएंगे और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के अधीन सेवाओं को शासित करने वाले निबंधनों तथा शर्तों द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसे कर्मचारियों को, विद्यालय की सेवा में उनके संविलयन के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्थापित निबन्धन तथा शर्तों, उन निबंधनों तथा शर्तों से कम अनुकूल नहीं होगी, जो ऐसे कर्मचारियों को उक्त तारीख के पूर्व लागू थी;

(ख) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यथास्थिति, महाविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र के संबंध में अर्जित किए गए हों, उसे प्रोद्भूत हुए हों या उसके द्वारा उपगत किये गये हों, के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व है।

(ग) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, यथास्थिति, महाविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र के संबंध में की गई किसी संविदा के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा की गई संविदा है।

(3) इस धारा में दी गई किसी भी बात को यह नहीं समझा जायेगा कि वह उप-धारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय को

अन्तरित किए गए किसी महाविद्यालय या अनुसंधान केन्द्र की किसी भूमि या भवन को, राज्य शासन की पूर्व सहमति के बिना, बेचने, पट्टे पर देने उसका विनिमय करने या अन्यथा व्ययन करने के लिये विश्वविद्यालय को प्राधिकृत करती है।

58. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर एवं उसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 20) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) उन महाविद्यालयों एवं संस्थानों पर, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, लागू होना समाप्त हो जायेगा।
- (2) यह समाप्ति निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी—
- (क) उक्त अधिनियमिती के पूर्ववर्ती प्रवर्तन ;
- (ख) उक्त अधिनियमिती के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के संदर्भ में दिये गये कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड ; या
- (ग) ऐसे शास्ति, समपहरण, या दण्ड के संबंध में, कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार तथा कोई ऐसी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा अथवा लागू किया जा सकेगा तथा कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, जैसा कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ हो।
- (3) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निर्मित एवं नियत दिनांक पर प्रभावशील सभी परिनियम एवं विनियम, जहां तक इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो तब तक प्रभावशील रहेंगे, जब तक कि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित परिनियमों एवं विनियमों के द्वारा निरसित न कर ली गई हो।

व्यावृत्ति.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

क्रमांक 36/डी. 237/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-12-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

## CHHATTISGARH ACT

(No. 23 of 2019)

**THE MAHATMA GANDHI UDYANIKEE EVAM VANIKEE VISHWAVIDYALAYA  
ADHINIYAM, 2019**

## TABLE OF CONTENTS

Sections:

**CHAPTER-I****PRELIMINARY**

1. Short title.
2. Definitions.

**CHAPTER-II****THE UNIVERSITY**

3. Incorporation.
4. Objects of University.
5. Powers of University.
6. Territorial Jurisdiction.
7. University to have exclusive jurisdiction to provide for instruction teaching, etc, in horticulture and allied sciences.
8. University open to all irrespective of religion, caste, sex, place of birth or opinion.
9. Teaching in University.
10. Inspection or inquiry of University,

**CHAPTER -III****OFFICERS OF THE UNIVERSITY**

11. Officers of University.
12. Chancellor.
13. Powers of Chancellor.
14. Vice-Chancellor.
15. Emoluments and conditions of service of Vice-Chancellor.
16. Powers and duties of Vice-Chancellor.
17. Removal of Vice-Chancellor.
18. Registrar.
19. Comptroller.

20. Deans and Directors.
21. Other Officers.
22. Co-ordination Council.
23. Meeting of Council and Quorum thereat.
24. Powers and duties of Council.

#### **CHAPTER-IV**

#### **AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY**

25. Authorities of University.
26. Constitution of Board.
27. Meeting of Board.
28. Powers and duties of Board.
29. Academic Council.
30. Powers and duties of Academic Council.
31. Faculties.
32. Department of studies.
33. Finance Committee.
34. Other Authorities of University.
35. Horticultural Research Station and Agricultural Rural life and Extension Services.

#### **CHAPTER-V**

#### **UNIVERSITY FUND, ETC.**

36. University Fund.
37. Objects to which University fund may be applied.

#### **CHAPTER -VI**

#### **STATUTES AND REGULATIONS**

38. Statutes.
39. Statutes how made.
40. Regulations.

#### **CHAPTER -VII**

#### **ANNUAL, REPORTS AND ACCOUNTS, ETC.**

41. Annual report.
42. Accounts and Audit.

---

**CHAPTER -VIII**  
**SUPPLEMENTARY PROVISIONS**

43. Disputes as to constitution of University Authorities and Bodies.
44. Constitution of committees.
45. Filling of casual vacancies.
46. Vacancy, etc. not to invalidate proceedings.
47. Conditions of service.
48. Pension and Provident Fund.
49. Protection of acts and orders.
50. Extraordinary powers of first Vice-Chancellor.
51. Appointment of teacher by Board.
52. Scales of officers, teachers and other employees.
53. Term of office of member of authority of University.
54. Resignation of member or officer of University.
55. Removal from membership of any authority or Board of University.
56. Removal of difficulties.
57. Transfer of property and personnel.
58. Saving.



## CHHATTISGARH ACT

(No. 23 of 2019)

**THE MAHATMA GANDHI UDYANIKEE EVAM VANIKEE VISHWAVIDYALAYA  
ADHINIYAM, 2019**

An Act to establish and incorporate Mahatma Gandhi Udyanikee evam Vanikee Vishwavidyalaya for Udyanikee Tatha Sambadh Vigyan at Patan Tehsil of District Durg to provide for education and prosecution of research in Horticulture and Allied Sciences, extension and other matters ancilliary thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER-I****PRELIMINARY**

1. (1) This Act may be called the Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2019;
- (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh;
- (3) It shall come into force from 1<sup>st</sup> April, 2020.

**Short title,  
extent and  
commencement.**

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (i) "**Horticulture**" means the basic and applied science of fruits, vegetables, flower, spices, medicinal and aromatic plants, mushrooms, landscaping, agroforestry and apiculture (bee keeping), production, processing and management and betterment of the rural people;
- (ii) "**College**" means a college of the University under the direct control and management of the Board and the Principal Executive Officer of the University whether located at the headquarters, campuses or elsewhere;
- (iii) "**Extension**" means all educational programmes undertaken for the purpose of ascertaining the problems of research in horticulture and allied sciences, disseminating the results of research to extension,

**Definitions.**

- personnel and farmers and providing training for the purpose of such dissemination;
- (iv) "**Hostel**" means a unit of residence for students of the University provided, maintained or recognised by it;
- (v) "**Registered Graduate**" means a graduate registered under the provisions of this Act;
- (vi) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
- (vii) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
- (viii) "**Statutes and Regulations**", means respectively the Statutes, and Regulations of the university in force for the time being;
- (ix) "**Student of the University**" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted;
- (x) "**Teacher of the University**" means a person appointed or recognised by the University for the purpose of imparting instructions and/or conducting and guiding research and/or extension programmes and includes a person who may be declared by the statutes to be a teacher;
- (xi) "**University**" means the Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya of Chhattisgarh.

## CHAPTER-II

### THE UNIVERSITY

**Incorporation.** 3. (1) The Chancellor and first Vice-Chancellor of the University and the first member of the board and of the Academic Council of the University and all the persons who may here after become such officers or members are, so long as they continue to hold such office or membership, hereby shall be constituted a body corporate by the name of the University.

- (2) The University shall have perpetual succession and common seal and shall sue and be sued by the said name.
- (3) The headquarters of the University shall be located at Tehsil Patan in District Durg.

**4. The University shall among others have the following purposes:-**

- (a) making provision for the education in horticulture and other allied sciences;
- (b) furthering the prosecution of research, particularly, in horticulture, and other allied sciences;
- (c) undertaking field extension programmes; and
- (d) such other purposes related to the aforesaid with the object of improving the level of living of rural people as the State Government may direct, by notification.

**Objects of  
University.**

**5. The University shall have the following powers, namely:-**

- (1) to acquire and hold property both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer any movable or immovable property vesting in or acquired by it for the purposes of the University excepting Government land and its institutions ;
- (2) to cultivate and promote the study of, and to provide for instruction, teaching and training in :-
  - (a) horticulture, agriculture engineering and technology, rural industry and business, and other allied sciences; and
  - (b) such other branches of learning as the University may deem fit;
- (3) to make provision for research and for the advance and dissemination of knowledge in horticulture and allied sciences and to institute and manage Horticulture Extension Service including rural youth programmes;
- (4) to institute degrees, diplomas and other academic distinctions;
- (5) to maintain colleges, schools of studies and hostels in the manner prescribed in the Statutes;

**Powers of  
University.**

- (6) to institute teaching, research and extension posts required by the university and appoint persons to such posts;
- (7) to determine qualifications to recognise teachers as qualified to give instructions in a college or to carry out research and extension work in horticulture and allied sciences ;
- (8) to provide such lectures and instructions for and to grant such diplomas to field workers and other persons, not being enrolled students of the University as it may determine;
- (9) to set up laboratories, libraries, horticultural research stations, museums, horticulture farms and such other equipments as the University may consider it necessary to organise, in field of horticulture and allied sciences ;
- (10) to hold examinations, and to grant diplomas and confer degree and other academic distinctions on persons who have pursued a course of study under the University ;
- (11) to confer degrees and/or other academic distinctions on persons who have carried on independent research under conditions prescribed in the Statutes ;
- (12) to confer honorary degrees or other academic distinctions on approved persons in the manner and under conditions prescribed in the Statutes ;
- (13) to hold and manage trusts and endowments and to institute and award, fellowships (including travelling fellowships), scholarships, exhibitions, bursaries, medals and other rewards in accordance with conditions prescribed in the Statutes ;
- (14) to arrange for inspection of colleges and other branches of the University and to take measures to ensure that proper standards of instruction, teaching or training, research and extension are maintained ;
- (15) to fix, demand and receive payment of such fees and other charges as may be prescribed by the Statutes ;
- (16) to supervise and control the residence, conduct and discipline of students of the University and to make

arrangements for promoting their health, development and general welfare;

(17) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto, with the prior approval of the State Government ;

(18) to institute and manage :-

- (a) Information Bureau;
- (b) Printing and Publication Department;
- (c) Employment Bureau;
- (d) Any other institution authorised by the State Government;

(19) to make provisions, -

- (a) for extra-mural teaching and research;
- (b) for physical and military training;
- (c) for sports and athletic activities;
- (d) any other activity as may be decided by the State Government;

(20) to co-operate with other Universities and authorities in such manner, to such extent and for such purposes as the University may determine;

(21) to do all such other acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not as may be requisite in order to further the objects of the University.

6. (1) Save as otherwise provided in this Act, the powers conferred on the University by or under this Act, shall extend to the areas comprised within the limits of whole Chhattisgarh.

**Territorial  
Jurisdiction.**

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no college or educational institution situated within the aforesaid limits imparting instructions in horticulture and other allied sciences for bachelors degree and/or above, shall be associated in any way with or be admitted to any privilege of any other University incorporated by law in India and any such privilege granted, by any such other University to any educational institution within those limits prior to the commencement of this Act,



shall be deemed to be withdrawn on the commencement of this Act, and such institutions shall stand affiliated to the University till the date they are transferred to the University, under section 57.

- (3) The research and extension work undertaken or conducted by or on behalf of the **Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidhyalaya** in the field of **horticulture** and allied sciences within the aforesaid limits shall be co-ordinated with and integrated into the activities of the University-

- (a) with effect from such date or dates as the State Government may, by notification, specify and different dates may be specified for co-ordination and integration; and
- (b) in such manner and to such extent as may be determined by the State Government in consultation with the Board.

University to have exclusive jurisdiction to provide for instruction teaching, etc, horticulture and allied sciences.

7. (1) The University shall have exclusive jurisdiction throughout the areas specified in sub-section (1) of section 6 to provide for instruction, teaching and training in **horticulture** and allied sciences and notwithstanding anything contained in the law relating to incorporation of any other University in the State, no other University shall be competent to provide for instruction, teaching and training in **horticultue** and allied sciences in such areas. However, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya will continue to have the powers to make provision for teaching of horticulture, forestry courses and degree programme, basic research and extension programme in horticulture and allied sciences.

- (2) Notwithstanding anything contained in this Act or Statutes and Regulations made there under any student of the Pt. Kishori Lal Shukla Horticulture College and Research Center, Rajnandgaon, Horticulture College and Research Center, Jagdalpur and affiliated private Horticulture Colleges and Study Departments who immediately prior to the -----

day of -----2019 was studying for or was eligible to appear in any examination, as the case may be, in **Horticulture** and other allied Sciences of the Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidyalaya, shall be permitted to complete his course in preparation therefor, and the University shall provide for such period not exceeding five years and in such manner as may be prescribed by the Statutes for the instruction, teaching training and examination of such students in accordance with the course of studies of the **Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidyalaya.**

8. It shall not be lawful for the University to impose any test or condition whatsoever relating to religion, caste, sex, place of birth or other opinion in order to entitle any person :-

- (a) to hold any office in the University; or
- (b) to be a member of any authority of the University; or
- (c) to be appointed or admitted as a teacher; or
- (d) to be admitted to any degree, diploma or other academic distinctions or course; or
- (e) to enjoy or exercise any privileges of the University of benefication thereto:

Provided that the University may subject to the previous sanction of the State Government, maintain any college or institution exclusively for women, either for education, instruction or residence, or reserve for women or members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or of other classes and communities which are educationally backward, seats for the purposes of admission as students in any college or institution maintained or controlled by the University :

Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study, students larger in number than, or with academic or other qualifications lower than those prescribed in the Statutes :

Provided also that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from exempting indigent persons

University open to all irrespective of religion caste, sex, place of birth or opinion.

belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or to any other classes or communities which are socially and educationally *backward form attending courses of study or from the fees levied in whole or in part for attending such courses.*

**Explanation.** - A person shall, for the purposes of this proviso, be deemed to be an "indigent person" if the annual income of such person or his guardian (where such person is for his livelihood and education dependent upon such guardian) is less than such amount as may be specified by the State Government, by notification, in this behalf.

Teaching in  
University.

9. (1) All recognised teaching in connection with the University courses shall be conducted by the teachers of the University in accordance with such scheme as may be framed for each academic year by the Academic Council and shall includes lecture, tutorial classes, laboratory work, field work or other teachings conducted in accordance with the course of study prescribed by the Regulations.
- (2) The authorities responsible for organising such teaching and the maximum number of students that shall be admitted to a course shall be prescribed by the Statutes.
- (3) The courses and curriculam shall be prescribed by the Regulations.

Inspection or  
inquiry of  
University.

10. (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University generally and other matters particularly such as its buildings, laboratories, libraries, museums, Horticulture Research Stations and farms, workshops and equipment and of any college or hostel, maintained by the University, of the teaching and other work conducted by the University or any college or institution and of the conduct of examinations held by he University and to cause an inquiry to be made of any matter connected with the University:

Provided that the Chancellor shall, in every case, give notice to the University of its Intention to cause an inspection or

inquiry to be made, and the University shall be entitled to be represented thereat.

- (2) Such person or persons shall report to the Chancellor the result of such inspection or enquiry and the Chancellor shall communicate to the Board his views with reference to the results of such inspection or enquiry. The Board shall thereupon take appropriate action as may be directed by the Chancellor.
- (3) Where the Board does not, within a reasonable time take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor after considering any explanation furnished or representation made by the Board issue such directions as he may think fit, and Board shall comply therewith.
- (4) The report of the inspection and the directions issued by the Chancellor as a result of such inspection or inquiry shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

### CHAPTER-III

#### OFFICERS OF THE UNIVERSITY

11. The following shall be the officers of the University, namely:-

- (1) The Chancellor;
- (2) The Vice-Chancellor;
- (3) The Registrar;
- (4) The Comptroller;
- (5) The Deans;
- (6) The Directors; and
- (7) Such other officers in the service of the University as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

Offices of  
university.

12. The Governor of **Chhattisgarh** shall be the Chancellor of the University. He shall, by **virtue** of his office, be the Head of the University and shall, when present, preside at any convocation of the University.

Chancellor.

13. (1) The Chancellor may, -

- (a) call for any papers or information relating to the affairs of the University; and

Powers of  
Chancellor.

(b) for reasons to be recorded, refer any matter except a matter falling under Section 43 for reconsideration to any officer or authority of the University that has previously considered such matter.

- (2) The Chancellor may by an order in writing annul any proceeding of any officer or authority of the University which is not in conformity with this Act the Statue or the Regulation:

Provided that before making any such order, he may call upon the officer or authority concerned to show cause why such an order shall not be made and if any cause is shown within the time specified by him in this behalf, he shall consider the same.

- (3) Every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.
- (4) The Chancellor shall exercise such powers as may be conferred on him by or under this Act.

**Vice-Chancellor.**

- 14.** (1) The Vice-chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of not less than three persons recommended by the committee constituted under sub-section (2):

Provided that the first Vice-Chancellor shall be directly appointed by the Chancellor:

Provided further that if the Chancellor does not approve of any of the persons so recommended or the person or persons approved by the Chancellor out of those recommended by such committee are not willing to accept the appointment, the Chancellor may call for fresh recommendations from such committee.

- (2) The Chancellor shall appoint a committee consisting of the following persons, namely:-



- (i) Those persons who have not been employed by or on behalf of the University or any college, a person elected by the Board,
- (ii) a person nominated by the Chancellor, and
- (iii) a person nominated by the State Government.

The Chancellor shall appoint one of the three persons to be the Chairman of the Committee.

- (3) The Chancellor shall constitute the Committee under sub-section (2) before the expiry of the term of the Vice-Chancellor.
- (4) The Committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Chancellor.
- (5) If the committee fails to submit the panel within the period specified in sub-section (4), the Chancellor may appoint any person whom he deems fit to be the Vice-Chancellor.
- (6) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of **five years** and shall be eligible for re-appointment, but not beyond the age of **sixty five years**:

Provided that the first Vice-Chancellor shall hold office for a term not exceeding five years as the Chancellor may determine:

Provided further that, notwithstanding the expiry of his term the first Vice-Chancellor shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office, but this period shall not exceed six months.

- (7) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of Vice-Chancellor by reason of his death, resignation or otherwise the senior most Director, Dean of Faculty or any officer of the Government nominated by Chancellor shall act as Vice-Chancellor until the date on which a new Vice-Chancellor, appointed under sub-section (1) to fill such vacancy enters upon his office:

Provided that the person so nominated shall not hold office for a period of more than six months.

- (8) Where any temporary vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs by reasons of leave, illness or any other cause. Chancellor shall as soon as possible, make such arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as he may think fit.
- (9) Until the nomination has been made under sub-section (7) or arrangements have been made under sub-section (8), the Registrar and if no Registrar has been appointed or if there be vacancy in the office of Registrar for any reason whatsoever, such officer of the University as Chancellor may direct, shall carry on the current duties of the Vice-Chancellor.
- (10) All acts done by the person appointed under sub-section (8) or by the Registrar under sub-section (9) or by the officer directed by the Chancellor under sub-section (9) to carry on the current duties of the Vice-Chancellor shall be deemed to be acts done by the Vice-Chancellor.

**Emoluments and conditions of service of Vice-Chancellor.**

- 15.** The emoluments and conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed by Statutes but shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

**Power and duties of Vice-Chancellor.**

- 16.** (1) The Vice-Chancellor shall be Principal executive and academic officer of the University and shall, in the absence of chancellor preside at any Convocation of the University. He shall be ex-officio member and Chairman of the Board and of the Academic Council and Chairman of such other authorities of the University of which he is a member. He shall be entitled to be present and to speak at any meeting of any authority or other body of the University but shall not be entitled to vote thereat unless he is member of the authority or body concerned.
- (2) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that this Act, the Statutes and the Regulations are faithfully

observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

- (3) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Board and the Academic Council.
- (4) In any emergency which in the opinion of the Vice-Chancellor requires that immediate action should be taken, the Vice-Chancellor shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer, authority or body as would have in the ordinary course dealt with the matter, and if the officer, authority or body disagrees with the action of the Vice-Chancellor the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
- (5) When action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (4) affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer an appeal to the Board through the officer, authority or body mentioned in the said sub-section within thirty days from the date on which such action is communicated to him.
- (6) The action taken by the Vice-Chancellor shall be deemed to be the action taken by the appropriate authority until it is set-aside by such officer, authority or body after considering the report made by the Vice-Chancellor under sub-section (4) or is modified or set-aside by the Board under sub-section (5).
- (7) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of the authority of the University.
- (8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and Regulations.

17. (1) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquiries as may be deemed necessary, it appears to the Chancellor that the Vice-Chancellor,-
- (i) Has made defaults in performing duty imposed on him by or under this Act; or

**Removal of Vice-Chancellor.**

- (ii) Has acted in a manner prejudicial to the interest of the University; or
  - (iii) Is incapable of managing the affairs of the University, the Chancellor may, notwithstanding the fact that the term of office of the Vice-Chancellor has not expired, by an order in writing stating the reasons therein requires the Vice-Chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.
- (2) No order under sub-section (1) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Vice-Chancellor and he is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.
- (3) As from the date specified in the order under sub-section (1) the Vice-Chancellor shall be deemed to have relinquished office and the office of the Vice-Chancellor shall fall vacant.

**Registrar.**

- 18.** The Registrar shall be a whole time salaried officer and shall act as the Secretary of the Board and of the Academic Council. He shall be appointed by the State Government and his emoluments and conditions of service shall be such as may be prescribed by the Statutes. He shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him by the Statutes and the regulations:

Provided that the first Registrar of the University shall be appointed by the Chancellor and he shall hold office for such period not exceeding five years and on such terms and conditions as the Chancellor may determine.

**Comptroller.**

- 19.** (1) The Comptroller shall be a whole time salaried officer of the University. He shall be appointed by the State Government and his emoluments and conditions of service shall be such as may be prescribed by the Statutes.
- (2) Where any temporary vacancy in the office of the Comptroller occurs by reason of leave, illness or any other cause, the Vice-Chancellor shall make arrangements as he deems fit, to carry on the current duties of the Comptroller.

- (3) The Comptroller shall-
- (a) exercise supervision over the funds of the University under the general control of the Registrar and shall advise the Vice-Chancellor in regard to the financial policies of the University ;
  - (b) subject to the control of the Vice-Chancellor shall manage the investment of the University ;
  - (c) be responsible for seeing that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted and no expenditure not authorized in the budget, is incurred by the University ;
  - (d) exercise such other powers as may be conferred on him by the Statutes.

20. (1) There shall be Deans and Directors of Research Services and Directors of Extension Services who shall be a whole time salaried officers of the University and appointed by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board in accordance with the Statutes made in this behalf.
- (2) The emoluments and conditions of service of the officers appointed under sub-section (1) shall be such as may be prescribed by the Statutes.
- (3) The Deans and Directors shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on them by the Statutes.

**Deans and  
Directors.**

21. The appointment of other officers of the University referred to in section 11 shall be made in such manner and the conditions of their service and their powers and duties shall be such as may be prescribed by the Statutes and Regulations:

**Other  
Officers.**

Provided that such post which in the sanctioned set-up of Mahatma Gandhi Udyanikee Avam Vanikee Vishwavidyalaya are to be filled on deputation shall be filled by the State Government.

22. There shall be a council for Co-ordinating the activities of the Horticulture Universities in the State. The council shall be constituted by an order of the State Government and shall comprise of the following-

**Co-ordination  
Council.**



- (1) Minister of Agriculture : Chairman
- (2) Vice-Chancellors of the Horticulture Universities: Members
- (3) Registrars of the respective Universities : Members.
- (4) Directors of the respective Universities : Members.
- (5) Comptrollers of the respective Universities : Members.
- (6) Secretary to Government of Chhattisgarh in the-
  - (i) Department of Agriculture/Horticulture,
  - (ii) Department of Animal Husbandry and Veterinary Services,
  - (iii) Department of Fisheries,
  - (iv) Department of Ayacut,
  - (v) Department of Finance,
  - (vi) Department of Forest,
  - (vii) Department of Tribal Welfare,
  - (viii) Department of Irrigation,
  - (ix) A representative of the Indian Council of Agricultural Research to be nominated by the Director General.

**Meeting of  
Council and  
Quorum  
thereat.**

- 23.** (1) The Council shall meet twice in a Calendar Year and at such of intervals as may be determined by the Council.
- (2) One third members of the Council shall form the quorum.
- (3) The members of the Council shall receive such travelling and daily allowance as may be prescribed by Statutes.
- (4) Secretary to Government, Agriculture/Horticulture Department shall be the Convenor.

**Powers and  
duties of  
Council.**

- 24.** Subject to the provision of this Act, the Council shall exercise the following powers and perform the following duties:-
- (i) To act as an advisory body in all matters relating to Horticulture University.
  - (ii) To review broad policies and programmes of the Horticulture Universities and to suggest measures for the improvement and development of such University.
  - (iii) To act as a Co-ordinating body between Horticulture Universities established in the State by law.

- (iv) To exercise such other powers and perform such other duties as may be notified by the State Government.

#### CHAPTER -IV

#### AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

25. The following shall be authorities of the University:-

Authorities  
of  
University.

- (i) the Board ;
- (ii) the Academic Council ;
- (ii) the Faculties ;
- (iv) Finance Committee; and
- (v) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

26. (1) The Chancellor shall constitute the Board within two months of the establishment of the University.

Constitution  
of Board.

(2) The Board shall consist of the following persons, namely:-

##### Ex-Officio Members

- (i) the Vice-Chancellor- Chairman;
- (ii) the Secretary /Special Secretary to Government of Chhattisgarh
  - (a) Agriculture/Horticulture Department ;
  - (b) Finance Department ;
  - (c) Forest Department ;
  - (d) Water Resources Department ;
  - (e) Rural Industries Department ;

##### Members nominated by the Chancellor

- (iii) three eminent scientists with background of research or education in-
  - (a) Horticulture;
  - (b) Agriculture;
  - (c) Agricultural Engineering;

##### Members nominated by the State Government

- (iv) a distinguished industrialist or manufacturer having special knowledge in **horticulture** development;
- (v) one eminent women social workers having background of rural advancement;

- (vi) one progressive farmers preferably belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

**Other Member**

- (vii) one representative of Indian Council of Agricultural Research to be nominated by the Director-General of that Council;
- (3) The Registrar shall be the non-member Secretary of the Board.
- (4) The members other than ex-officio members of the Board shall hold office during the pleasure of nominating authority but their tenure shall not exceed three years. Further, such member shall not continue to be a member if he is declared insane, insolvent, absconder or otherwise incapable of discharging his duties as a member or he has resigned from the membership in such case a fresh nomination shall be made by University authority as soon as possible.
- (5) The members of the Board shall receive such travelling and daily allowance as may be prescribed by Statutes.
27. (1) The Board shall meet as often as may be considered necessary on such dates as may be fixed by the Vice-Chancellor :

Meeting of  
the Board.

- Provided that a period of three months shall, as far as may be, not intervene between the last sitting of the Board and the date fixed for its first sitting in the next meeting.
- (2) A meeting of the Board fixed by the Vice-Chancellor under sub-section (1) shall not be cancelled or postponed by the Vice-Chancellor, but the Chancellor may, for sufficient cause, postpone the meeting to any date not later than fifteen days from the date originally fixed by the Vice-Chancellor.
- (3) The Vice-Chancellor shall upon a requisition, in writing, signed by not less than five members of the Board, convene a special meeting of the Board within ten days of the receipt of such requisition.

- (4) When a date has been fixed for the meeting of the Board by the Vice-Chancellor under sub-section (1) or sub-section (3), the Registrar shall give clear seven days notice, in writing to the members of the board of such a meeting.
- (5) The quorum for every meeting of the Board shall be five.

**28.** The Board shall be an Executive Authority of the University and shall, subject to such conditions as may be prescribed by or under the provision of this Act and the Statutes, exercise the following powers and perform the following duties, namely:-

**Powers and  
duties of  
Board.**

- (i) to approve and sanction the budget of the University;
- (ii) to consider the annual accounts and the annual financial estimates placed before it by the Vice-Chancellor and pass them without modification or with such modifications as it may deem fit ;
- (iii) to lay before the State Government annually a full statement of the financial requirement of all branches of the University ;
- (iv) to make provision for instruction, teaching and training in such branches of learning and courses of study, as it may think fit, for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
- (v) to provide for the establishment and maintenance of colleges, departments, hostels and institutions of research and specialized studies and to manage them ;
- (vi) to organize and make provision, for laboratories, libraries, horticulture research stations, museums, horticulture farms including breeding farms and such other equipments as the University may consider it necessary to organize and provide for in the field of horticulture and allied sciences ;
- (vii) to run Agricultural Rural Life Research and Extension Services ;
- (viii) to make provision for-
- (a) (i) extra mural teaching and research ; and  
(ii) University extension activities;

- (b) Physical and military training;
  - (c) Sports and athletic activities; and
  - (d) any other activities as directed by the State Government.
- (ix) to make provision for the control of admission, conduct and discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (x) to institute and confer degrees, diplomas and other academic distinctions;
- (xi) to recommend to the Chancellor the conferment of honorary degrees and other academic distinction in the manner prescribed by Statutes;
- (xii) to provide for the institution, maintenance and award of fellowships, scholarships, studentship, exhibitions and medals;
- (xiii) to approve the schedule of fees and other charges as may be prescribed by the Statutes;
- (xiv) to make, amend or repeal statutes;
- (xv) to approve, reject, modify or refer back any Regulation to the appropriate body;
- (xvi) to determine the form of, provide for the custody and regulate the use of the common seal of the University;
- (xvii) to hold, control and administer the property and funds of the university;
- (xviii) to transfer any movable or immovable property on behalf of the University subject to the provisions of this Act and the Statutes;
- (xix) to accept on behalf of the University trusts, bequests donations and transfers of movable and immovable property to the University;
- (xx) to enter into, vary, carryout or cancel contracts on behalf of the University in the exercise of powers conferred on it by this Act and the Statutes ;



- (xxi) to make provisions for buildings, premises, furniture, apparatus, books and other means needed for carrying on the work of the University;
- (xxii) save as otherwise provided by this Act or the Statutes to approve the appointment of officers (other than the Vice-Chancellor) teachers and other servants of the University and to provide for the filling of temporary vacancies in their posts;
- (xxiii) to institute -
- (a) a Printing and Publication Department;
  - (b) an Information Bureau; and
  - (c) Employment Bureau;
- (xxiv) to approve such teaching posts as may be proposed by the Academic Council;
- (xxv) to abolish or suspend suo motu or to report the Academic Council thereon, and teaching post in the University;
- (xxvi) to lay down scales of salaries and conditions of service of the Vice-Chancellor, the Registrar or such other officer of the University or a Committee appointed by it as it may deem fit;
- (xxvii) to delegate by regulation and of its powers to the Vice-Chancellor, the Registrar or such other officer of the University or a committee appointed by it as it may deem fit;
- (xxviii) to exercise such other powers and perform such other duties not inconsistent with the provisions of this Act or Statutes as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.

- 29.** (1) The Academic Council shall be in charge of the academic affairs of the University and shall consist of the following members, namely :-
- (i) The Vice-Chancellor- Chairman;
  - (ii) Directors of Research, Extension and Instructions;
  - (iii) Deans of Faculties in the Colleges and in the University;

**Academic  
Council.**

- (iv) One teacher from each faculty of the University to be elected from amongst themselves in the manner prescribed by Statutes;
  - (v) Three officers/teachers of the sister Horticulture Universities co-opted by Academic Council for this special knowledge in subjects recognised by the University.
  - (vi) Heads of the Department of all faculties.
- (2) Not less than half of the number of members of the Academic Council for the time being shall form a quorum.
  - (3) The Academic Council shall have power to co-opt as members, two persons having special knowledge or experience in the subject matter of any particular business which may come before the Council for consideration. The members so co-opted shall have the rights of the members of the Academic Council in regard to the transaction of the business in relation to which they may be co-opted.
  - (4) All members of the Academic Council other than ex-officio members and members referred to in sub-section (3) shall hold office for a term specified in the Statutes.

**Power and  
duties of  
Academic.**

**30.** The Academic Council shall -

- (a) Subject to the provision of the Act and the Statutes generally regulate and have the control of and be responsible for, the maintenance of standard of teaching research and examination of the University and for the fulfillment of requirement for obtaining degrees;
- (b) Advise the Board and other authorities of the University on all academic matters;
- (c) exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by or under this Act.

**Faculties. 31.** (1) The University shall have such faculties as may be prescribed by the Statutes.

- (2) Each faculty shall consist of such members and shall have such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

- 32.** (1) Each faculty shall comprise of such Department of study as may be prescribed by the statutes. **Department of studies.**
- (2) There shall be a Head of the Department for each Department of Study.
- (3) The Vice-Chancellor shall nominate one of the Professors as Head of the Department and if there is no Professor, the Dean of the Faculty shall act as the Head of such Department until a duly qualified person is available.
- (4) The terms and conditions of appointment, duties and functions of the Head of the Department shall be prescribed by the Statutes.
- 33.** (1) The Finance committee shall be responsible for the financial management of the University and shall consist of the following members :- **Finance Committee.**
- (i) Vice-Chancellor-Chairman ;
- (ii) Secretary/Special Secretary to Government of Chhattisgarh, Finance Department;
- (iii) Secretary/Special Secretary to Government of Chhattisgarh, Agriculture/ Horticulture Department;
- (iv) Director of Agriculture, Chhattisgarh;
- (v) Director of Horticulture, Chhattisgarh;
- (2) The Committee shall exercise the following powers and perform the following duties:-
- (i) to approve the Budget of the University;
- (ii) to consider Annual Accounts and financial estimates placed before it by the Comptroller and pass them without modification or with such modifications as it may deem fit.
- (iii) to lay before the Board annually a full statement of the financial requirements of the University.

- Other Authorities of University.**
- 34.** The constitution, powers and duties of such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University shall be provided for in the manner prescribed by the statutes.
- Horticulture Research station and Agriculture Rural life and Extention service.**
- 35.** (1) The university shall establish and/or maintain Horticulture Research Station regional and other sub-stations for conducting research, both fundamental and applied, in all faculties within its territorial jurisdiction .
- (2) The University shall also run an Agricultural Rural Life and Extension Service which shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, make available useful information to the farmers and house wives to help them, solve their problems and take all necessary measures for developing in young people interest in Agricultural Rural Life.

#### CHAPTER-V

#### UNIVERSITY FUND, ETC.

- University fund.**
- 36.** (1) The university shall establish a fund to be called the university fund .
- (2) The following shall form part of, or be paid into, the University fund:-
- (a) any loan, contribution or grant by Central or State Government or any body corporate;
- (b) the income of the university from all sources including income from fees and charges;
- (c) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;
- (d) all other sums received by the University.
- (3) The University Fund shall be kept in any scheduled bank or banks as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (No.2 of 1934), or such other Banks as may be approved by the Reserve Bank of India or invested in securities authorised by the Indian Trust Act. , 1882 (No. 2 of 1882), at the descretion of the Board.

- (4) Nothing in this section shall in any way affect and obligations accepted by or imposed upon the University by any declaration of trust executed by or on behalf of the University for the administration of any trust.

**37.** The University fund shall be applicable to the following objects.-

- (a) to the repayment of debts incurred by the University for the purpose of this Act and the Statutes, and the Regulations made thereunder;
- (b) to the expenses of any suit or proceedings to which the university is a party;
- (c) for the payment of salaries and allowances of the officers and servants of the University, members of the teaching staff and establishment employed in the colleges and the department of University, in furtherance of the purpose of this Act, and the statutes and Regulations made thereunder and to the payment of pension or any Provident Fund contribution to any such officers and servants, member of the teaching staff or the members of such establishments;
- (d) to the payment of the travelling and other allowances of the members of the Board and the Academic Council and any other authority of the university or the members of any Committee appointed by any of the authorities of the University in pursuance of any provisions of the Act and statutes, and the Regulations made thereunder;
- (e) to the payment of fellowships, scholarships, studentship, and other awards to students ;
- (f) to the upkeep of colleges, departments, residences, and hostels ;
- (g) to the payment of the cost of audit of the university Fund ;
- (h) to the payment of any expense incurred by the University in carrying out of the provisions of this Act and the Statutes, and the Regulations made thereunder ; and
- (i) to the payment of any other expense, not specified in any of the preceding clauses declared by the Board to be the expense for the University.

**Objects to which University fund may be applied.**



**CHAPTER -VI**  
**STATUTES AND REGULATIONS**

- Statutes. 38.** Subject to the provisions of this Act the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely :--
- (i) the constitution, powers and duties of authorities of the University;
  - (ii) the manners of election or appointment and term of office of the members of the authorities referred to in clause (i), including the continuance or retirement in the office of the first members, and filling of vacancies of members and all other matters, relating to those bodies for which it may be necessary or desirable to provide ;
  - (iii) allowances payable to the members of the Board;
  - (iv) emoluments and conditions of service of the Vice-Chancellor, and his powers;
  - (v) appointment of Comptroller, Registrar, Deans, Directors and other officers of the University, their powers and duties and the emoluments, terms and conditions of their service;
  - (vi) the contribution of a person or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the officers, teachers and other employees of the University;
  - (vii) the holding of convocation to confer degrees;
  - (viii) conferment of honorary degree and other academic distinctions;
  - (ix) the withdrawal of degree, diplomas, certificates and other academic distinctions;
  - (x) the establishment amalgamation, sub-division and abolition of Faculties;
  - (xi) the establishment and abolition of departments of teaching in Faculties;
  - (xii) the establishment and abolition if hostels maintained by the University;
  - (xiii) qualifications classification and mode of appointment of teachers of the University;

- (xiv) the administration of endowments and the institution and conditions of award of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, bursaries, medals, prizes and other award;
- (xv) the maintenance of a register of registered graduates;
- (xvi) the admission of students of the University and their enrolments and continuance as such;
- (xvii) the fees that may be charged by the University for any purpose;
- (xviii) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;
- (xix) the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions to be awarded by the University, the qualifications for the same and the steps to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
- (xx) laying down conditions for conferral of degrees and other academic distinctions for research;
- (xxi) the maintenance of discipline among the students of the University;
- (xxii) the conditions of residence of the students of the University and the levy of fees for residence in hostels ;
- (xxiii) the recognition and management of hostels not maintained by the University;
- (xxiv) the special arrangements, if any which may be made for the residence, discipline and teaching of women students, and prescribing for them special courses of study;
- (xxv) the management of colleges and other institutions founded or maintained by the University;
- (xxvi) constitution of a selection Committee for appointment of teachers;
- (xxvii) number, qualifications and conditions of appointment including pay scales and other emoluments of teachers of the University;
- (xxviii) the duties of teachers of the University;

- (xxix) the date on or before which the annual report shall be submitted to the Board;
- (xxx) the mode of execution of contracts or agreements by or on behalf of the University; and
- (xxxii) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

Statutes  
how made.

39.

- (1) The first Statutes with regard to matters set out in section 38 shall be made by the state Government and a copy thereof shall be laid on the Table of the Legislative Assembly for fourteen days and they shall be subject to such additions and alterations as may be agreed to by the Legislative Assembly but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.
- (2) The Board may from time to time make new or additional Statutes and may amend or repeal the Statutes in the manner hereinafter in this section provided.
- (3) The Academic Council may propose to the Board the Draft of any new Statute or amendment of any existing Statutes to be passed by the Board and such draft shall be considered by the Board at its next meeting:

Provided that the Academic Council shall not propose the draft of any Statutes or of any amendment of a statute affecting the statutes, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity to express its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be considered by the Board.

- (4) The Board may approve any such draft as is referred to in sub-section (3), and pass the Statute or reject it or return it to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part, together with any amendments which it may suggest.
- (5) Any member of the Board may propose to the Board, the draft of any new Statute or amendment to existing Statute. The Board may either accept or reject the proposal, if it

relates to matter not falling within the purview of the Academic Council. But in case, such draft relates to matter within the purview of the Academic Council. The opinion of the Academic Council shall be obtained and considered by the Board before taking appropriate decision in the matter.

- (6) A new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of a Statute shall require the previous approval of the Chancellor who may sanction, disallow or remit it for further consideration.

**40.** (1) The authorities and other bodies of the University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes for -

**Regulations.**

- (a) laying down the number of members required to for a quorum and the procedure to be observed at the meetings;
  - (b) providing for all matters which by this Act and the Statutes are to be provided for by the Regulations; and
  - (c) providing for any other matters solely concerning such authorities and bodies and not provided for by this Act and the Statutes
- (2) Every authority of the University shall make regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meeting and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.
- (3) The Board may direct the amendment, in such manner as it may specify, or any regulations made under this section on the annulment of any Regulations made under sub-section (1) by any authority of the University.
- (4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Statutes, make Regulations providing for courses of study for the various examinations and degrees of the University after receiving drafts of the same from the Faculty concerned.

- (5) The Academic Council may either approve or reject or alter the draft received from the faculty or return it to the faculty for further consideration together with its own suggestions.

### CHAPTER-VII

#### ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS, ETC.

Annual  
report.

41. The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and shall be submitted to the Board for its consideration and approval. Such annual report as approved by the Board shall be submitted to the Chancellor and the State Government and shall be placed before the State Legislature.

Account  
and Audit.

42. (1) The annual accounts of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.
- (2) The annual accounts shall be submitted to the Board. The Board shall at its meeting consider the same and pass a resolution and communicate the same to the State Government which shall cause an audit to be carried out by such person as it may direct.
- (3) The accounts when audited shall be printed and copies thereof shall together with the copies of the Audit Report, be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary. The Audit Report with comments of the Board shall be placed before the State Legislature.

### CHAPTER -VIII

#### SUPPLEMENTARY PROVISIONS

Disputes as  
to  
constitution  
of  
University  
Authorities  
and Bodies.

43. If any question arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or any Statute, or Regulation or as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the



University the matter shall be referred to the chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided that before taking any such decision the Chancellor shall give the person or persons to be affected there by a reasonable opportunity of being heard.

Explanation - In this section, the expression "body" includes any committee constituted by or under this Act.

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>44.</b> Where any authority of the University is given power by this Act or the Statutes to appoint Committees, such committees shall, save as otherwise provided, consist of members of the authority concern and of such other persons, if any as the authority in each case may think fit.</p>   | <p><b>Constitution<br/>of<br/>committees.</b></p>                      |
| <p><b>45.</b> Save as otherwise provided in this Act all casual vacancies among the members other than ex-officio members of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as convenient, by the person or body who appointed, elected or co-opted the member whose place has become vacant, and the person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.</p> | <p><b>Filling of<br/>casual<br/>vacancies.</b></p>                     |
| <p><b>46.</b> No act of the University or any authority or other body thereof shall be invalid merely by reasons of :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) any vacancy in, or defect in the constitution of ; or</li> <li>(b) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as a member thereof ; or</li> <li>(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.</li> </ul>  | <p><b>Vacancy, etc.<br/>not to<br/>invalidate<br/>proceedings.</b></p> |
| <p><b>47.</b> (1) Every salaried officer and teacher of the University shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the Vice-Chancellor and a copy thereof furnished to the officer or teacher concerned.</p>   | <p><b>Conditions<br/>of service.</b></p>                               |

- (2) No such officer or teacher as is referred to in sub-section (1) shall be offered nor shall he accept any remuneration for any work in or outside the University except as may be provided by the Statutes.
- (3) Any dispute arising out of a contract between the University and any of its officers or teachers shall at the request of officers or the teachers concerned or at the instance of the University be referred by the Chancellor to a tribunal for arbitration consisting of one member appointed by the Board, one nominated by the officer or teacher concerned and an umpire appointed by the Chancellor, and the decision of the tribunal shall be final and no suit shall lie in any civil court in respect of the matters decided by the tribunal.
- (4) Every request under sub-section (3) shall be deemed to be a submission to arbitration upon the terms of this Section within the meaning of the Arbitration Act, 1996 (No. 26 of 1996) and all the provisions of that Act, with exception of Section 3 thereof, shall apply accordingly.

**Pension and  
Provident  
Fund.**

- 48.** (1) The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers, clerical staff and employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such pension, insurance and provident fund as it may deem fit.
- (2) Where any such provident fund has been so constituted, the Chancellor may declare that the provisions of the Provident Fund Act, 1925 (No. 19 of 1925), shall apply to such fund as if it were a Government Provident Fund.

**Protection of  
acts and  
orders.**

- 49.** All acts and orders in good faith done and passed by the University shall be final and no suit shall be instituted or damage claimed for anything done or committed in pursuance of this Act Statutes and Regulations.

**Extraordinary  
powers of first  
Vice-  
Chancellor.**

- 50.** (1) The first Vice-Chancellor shall, for a period of eighteen months from the date of his appointment or for such

shorter period as may be determined by the Chancellor, have the following powers, namely :-

- (a) with the previous approval of the Chancellor to make additional Statutes to provide for any matter not provided for by the first Statutes ;
  - (b) with the previous approval of the Chancellor to constitute provisional authorities and bodies and on their recommendations to make rules providing for conduct of the work of the University;
  - (c) subject to the control of the Chancellor to make such financial arrangements and to incur such expenditure as may be necessary to enable this Act or any part thereof to be brought into operations;
  - (d) with the sanction of the Chancellor, make such appointments as may be necessary to enable this Act or any part thereof to be brought into operation ; and
  - (e) with the previous sanction of the Chancellor to appoint committees, as he may think fit, to discharge such of his functions, as he may direct; and
  - (f) generally to exercise all or any of the powers conferred on the Board by this Act or the Statutes.
- (2) Any orders passed by the Vice-Chancellor in exercise of the powers conferred by items (b), (d) and (e) of sub-section (1) shall continue to have effect after the expiry of the period specified under sub-section (1) until it is modified or set aside by the authority or body competent to deal with it in accordance with the provisions of this Act.

**51.** No. person shall be appointed by the Board as a salaried teacher of the University, except on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose in accordance with the provisions of the Statutes. However, looking to the nature of the work, adhoc appointment can be made for a period not exceeding six months, in any case.

**Appointment  
of teachers by  
Board.**

Scales of officers, teachers and other employees.

52. The payment of salaries to the officers, teachers and other employees of the University shall be in accordance with the scales fixed by Statute with prior approval of the State Government.

Term of office of member of authority of University.

53. (1) Whenever any person becomes a member of any authority by virtue of the office held by him he shall forthwith cease to be member of such authority if he ceases to hold such office before the expiry of the term of his membership:

Provided that he shall not be deemed to have ceased to hold his office merely by reason of his proceeding on leave for a period not exceeding four months.

- (2) Whenever any person becomes a member of any authority, as a representative of another body, whether of the University or not, he shall cease to be a member of such authority, if before the expiry of his term he ceases to be member of the body by which he was nominated, appointed or elected.

Resignation of member or officer of University.

54. (1) Any member other than an ex-officio member of the Board, the Academic Council or any other University Authority may resign by letter addressed to the Registrar, and the resignation shall take effect as soon as the letter is received by the Registrar.

- (2) Any officer of the University whether salaried or otherwise, may resign his office by letter addressed to the Registrar. Such resignation shall take effect from the date on which the same is accepted by the authority competent to fill the vacancy or automatically on the expiry of the three months from the date of the receipt of resignation by the Registrar, whichever is earlier.

Removal from membership of any authority or Board of University.

55. The Chancellor may on the request of the Board remove any person from the membership of any authority including the Board of the University on the ground that such person has been convicted of any offence involving moral turpitude:

Provided that no order for removal shall be passed against any person without giving him an opportunity of being heard:

Provided further that nothing in this section shall apply where the person concerned is a member in his capacity as member of the Legislative Assembly of the State.

- 56.(1)** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by order, published in Gazette make such provision not inconsistent with the provisions of this Act as may appears to be necessary for removing the difficulty:

**Removal of difficulties.**

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

- (2) Every order under this section shall be laid as soon as may be after it is made on the table of the Legislative Assembly.

- 57.(1)** As from such date as the State Government may, by notification, specify in this behalf all constituent and affiliated colleges of the Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidyalya situated in the areas specified in sub-section (1) of Section 6 imparting instruction in Horticulture, Forestry or any other allied subjects for bachelor's degree or higher and all research stations within those areas which are operated for carrying out research in Horticulture, Forestry and allied sciences to gather with lands, hostels and other buildings, furniture, library books, laboratories, stores, instruments, apparatus, appliances and equipments and livestock belonging to such colleges and stations and the budget programmed made for them shall be transferred to and vest in the University.

**Transfer of Property and personel.**

- (2) On and from the date of transfer of any college or research station under sub-section (1) the following consequences shall ensue, namely:-

- (a) the employees of the Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidyalya :-
- (i) who were working in or were attached to the colleges or research stations described in section 57 (1) of this act on the said date; or



- (ii) who but for their temporary absence from such colleges or research stations on account of any cause would have been working in or remained attached thereto on the said date; or
- (iii) who opt for and are permitted by the Board be transferred to the other University within a period of six month;

shall become the employees of the University and shall be thereafter be governed by the terms and conditions governing the service under the Mahatma Gandhi Udyanikee Evam Vanikee Vishwavidyalaya:

Provided that the terms and condition offered by the University to such employees consequent upon their absorption in the service of the University shall not be less favorable than those applicable to such employees prior to the said date.

- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred by the Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidyalaya in respect of the college or research station, as the case may be, shall be deemed to be the right, privilege obligation or liability acquired, accrued or incurred by the University.
  - (c) any contract entered into by the Indira Gandhi Krishi Vishwa Vidyalaya in respect of the college or research station, as the case may be, shall be deemed to be contract entered into by the University.
- (3) Nothing in this section shall be deemed to authorize the University to sell, lease, exchange, or otherwise dispose of any land or building of any college or research station, transferred to the University under sub-section (1) except with the prior concurrence of the State Government.

**Saving. 58.** (1) On and from the commencement of this Adhinyam, the provisions of the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Adhinyam, 1987 (No. 20 of 1987) (hereinafter in this section

referred as the said Adhiniyam) shall cease to apply in respect of the colleges and the institutions to which this Adhiniyam applies.

(2) Such cessor shall not affect -

(a) the previous operation of the said adhiniyam; or

(b) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of and offence committed against the said adhiniyam; or

(c) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of such penalty forfeiture of punishment and any such investigation legal proceeding or remedy may be instituted, continue or enforced and any such penalty forfeiture or punishment may be imposed as if this Adhiniyam has not been passed.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) all Statutes and Regulations made under the Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1987 and in force on the appointed day, in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Adhiniyam, shall continue to be in force until they are repealed by Statutes and Regulations to be made under this Adhiniyam.